



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार- 249404

Website-www.ukpsc.gov.in



01334-244143

01334-244282



07060002410

विज्ञापन संख्या:: A-1/E-1/PCS-2021/2021-22

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	10 अगस्त, 2021
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	::	30 अगस्त, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क -Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	30 अगस्त, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1)	<p>अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोगमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।</p>
(2)	<p>अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।</p>
(3)	<p>अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि, दिनांक 30 अगस्त, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।</p> <p>अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Dateके कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date)का अंकन हो।</p> <p>विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।</p>
(4)	<p>प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Cardके माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>
(5)	<p>आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।</p>
(6)	<p>ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>
(7)	<p>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने एवं नियत समय तक Net Banking/Debit Card/Credit Cardके माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही "Online Application"की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।</p>

(8)	आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
(9)	विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार) एवं साक्षात्कार परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। विज्ञापन के " परिशिष्ट-1 " में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।
(10)	प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।
(11)	अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन अवश्य करें। मुख्य परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियोंसे प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny)विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
(12)	प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
(13)	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
(14)	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
(15)	अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षाके आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-1 तथा प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-2 ,आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्रों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट-3 , श्रुतलेखक चाहने विषयक प्रपत्र के लिए परिशिष्ट-4 , पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियोंद्वारा ऊँचाई की नापतौल में छूट के लिए परिशिष्ट-5 एवं अनुभव प्रमाण-पत्रके लिए परिशिष्ट-6 का अवश्य अवलोकन करें।
(16)	मुख्य/लिखित परीक्षा एवं सम्पूर्ण प्रवीणता सूची तैयार किये जाने हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
(17)	शासनादेश संख्या: 232/XXX(2)/2018-30(05)/2014,दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के अनुक्रम में निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी भी अनारक्षित पद के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया जा सकता है, उक्त श्रेणी के निःशक्तता से ग्रस्त ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जायेगा, परन्तु दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 30 अगस्त, 2021 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

2. रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत् है। रिक्तियों की संख्या घट/बढ़ सकती है :-

क्र० सं०	पदनाम/विभाग	वेतनमान	रिक्तियां	ऊर्ध्व श्रेणीवार पदों का विवरण					क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण
				अना०	अनु० जाति	अनु० ज० जाति	अ० पि० व०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
1.	पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग)	56100-177500 Level-10	10	06	01	-	01	02	उ०म० -02 (अनारक्षित)
2.	वित्त अधिकारी (वित्त विभाग)	56100-177500 Level-10	18	09	05	-	03	01	उ०म० -04 (03अनारक्षित, 01 अनु०जाति) दिव्यांगजन-01 (अनारक्षित) (OA, OL, PB, PD हेतु) डी०एफ०एफ-01 (अनारक्षित)
3.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन विभाग)	56100-177500 Level-10	11	05	03	-	02	01	उ०म० -03 (01 अनारक्षित, 01 अनु०जाति, 01 ओ०बी०सी०)
4.	सहायक निदेशक, उद्योग /प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)	56100-177500 Level-10	17	09	03	01	02	02	उ०म० -05 (03अनारक्षित, 01 अनु०जाति, 01 ओ०बी०सी०)
5.	जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)	56100-177500 Level-10	04	02	02	-	-	-	उ०म० -01 (अनारक्षित)
6.	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)	56100-177500 Level-10	03	02	01	-	-	-	-
7.	खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग)	56100-177500 Level-10	28	16	06	-	04	02	उ०म० -07 (04 अनारक्षित, 02 अनु०जाति, 01 ओ०बी०सी०) दिव्यांगजन-01(अनारक्षित) (OA, OL, PB, PD हेतु) डी०एफ०एफ-01 (अनारक्षित) पूर्व सैनिक-01 (अनारक्षित) अनाथ बच्चे-01 (अनारक्षित)
8.	सहायक निबन्धक (सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग)	56100-177500 Level-10	07	04	01	-	01	01	उ०म -01 (अनारक्षित)

9.	सहायक श्रमायुक्त (श्रम विभाग)	56100- 177500 Level-10	02	01	-	-	-	01	उ0म -01 (अनारक्षित)
10.	सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर (श्रम विभाग)	56100- 177500 Level-10	04	02	02	-	-	-	उ0म -01 (अनारक्षित)
11.	सहायक गन्ना आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	56100- 177500 Level-10	01	01	-	-	-	-	-
12.	उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा निदेशक) विधि अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, मण्डलीय विधि अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा) (शिक्षा विभाग)	56100- 177500 Level-10	31	19	05	-	03	04	उ0म0 -09 (06 अनारक्षित, 01 अनु0जाति, 01 ओ0बी0सी0, 01 ई0डब्लू0एस0) दिव्यांगजन-02 (01 अनारक्षित, 01 अनु0जाति) (OA, OL, B, PB, PD, Dहेतु) डी0एफ0एफ-01 (अनारक्षित) पूर्व सैनिक-02 (01अनारक्षित, 01अनु0जाति) अनाथ बच्चे-01 (अनारक्षित)
13.	सहायक निदेशक, मत्स्य (पशुपालन विभाग)	56100- 177500 Level-10	03	02	01	-	-	-	उ0म -01 (अनारक्षित)
14.	सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा विभाग)	56100- 177500 Level-10	04	02	02	-	-	-	उ0म -01 (अनारक्षित)
15.	जिला पर्यटन विकास अधिकारी (पर्यटन विभाग)	56100- 177500 Level-10	01	-	01	-	-	-	-
16.	प्रचार अधिकारी (पर्यटन विभाग)	56100- 177500 Level-10	01	01	-	-	-	-	-
17.	सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा श्रेणी-2, विकास शाखा) (कृषि विभाग)	56100- 177500 Level-10	03	02	-	-	01	-	-
18.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (कृषि सेवा श्रेणी-2, सांख्यिकी शाखा) (कृषि विभाग)	56100- 177500 Level-10	01	01	-	-	-	-	-

19.	सहायक निदेशक / कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी / केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा श्रेणी-2, अभियंत्रण शाखा) (कृषि विभाग)	56100- 177500 Level-10	01	01	-	-	-	-	-
20.	सहायक निदेशक (रसायन) (कृषि सेवा श्रेणी-2, रसायन शाखा) (कृषि विभाग)	56100- 177500 Level-10	02	01	01	-	-	-	-
21.	सहायक निदेशक, उद्यान (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	02	02	-	-	-	-	-
22.	खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	03	03	-	-	-	-	-
23.	उद्यान विकास अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	20	12	02	01	03	02	उ०म० -०५ (०३ अनारक्षित, ०१ ओ०बी०सी०, ०१ ई०डब्लू०एस०) पूर्व सैनिक-०१(अनारक्षित) अनाथ बच्चे-०१ (अनारक्षित)
24.	पौध सुरक्षा अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	03	03	-	-	-	-	उ०म -०१ (अनारक्षित)
25.	मशरूम विकास अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	02	01	01	-	-	-	-
26.	सहायक निदेशक रसायन (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	01	01	-	-	-	-	-
27.	सहायक निदेशक, वनस्पति विज्ञान (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	04	04	-	-	-	-	उ०म -०१ (अनारक्षित)
28.	सांख्यिकी अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)	56100- 177500 Level-10	01	01	-	-	-	-	-
29.	सूचना अधिकारी / जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)	44900- 142400 Level-7	12	06	01	-	03	02	उ०म -०२ (अनारक्षित)

30.	परिवहन कर अधिकारी-1 (परिवहन विभाग)	44900-142400 Level-7	05	01	02	-	01	01	उ0म -01 (अनु0 जाति)
31.	बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)	35400-112400 Level-6	19	10	05	-	02	02	उ0म0 -04 (03 अनारक्षित, 01 अनु0जाति,) दिव्यांगजन-01 (01 अनारक्षित,) (OA, B, PB, PD हेतु)
	योग		224	129	46	02	26	21	

नोट-1. रिक्तियों की कुल संख्या 224 हैं। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

3. पद का स्वरूप : क्रमांक 16 प्रचार अधिकारी एवं क्रमांक 15 जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद अराजपत्रित/स्थाई/अंशदायी पेंशन, क्रमांक 14 सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा) का पद राजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशन तथा शेष क्रमांक 1 से 13 तथा क्रमांक 17 से 31 तक के पद राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त हैं।

4. उपरोक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता निम्नवत् है-

(1) पुलिस उपाधीक्षक (गृह विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, की किसी विधा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- "पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होगा, जो विज्ञापन के बिन्दु सं0 5 में उल्लिखित शारीरिक मापदण्ड के मानक को पूर्ण करता हो।

(2) वित्त अधिकारी (वित्त विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी-OA, OL, PB, PD

(3) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (परिवहन विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।

(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया

जायेगा, जिसने :-

- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(4) सहायक निदेशक, उद्योग/प्रबन्धक (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता।
(ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थी को, अन्य बातों के समान होते हुए भी, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
(क) व्यवसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।
(ख) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
(ग) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(5) जिला पूर्ति अधिकारी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।
(ख) अधिमानी अर्हता : अभ्यर्थी जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या
(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, PB, PD

(6) उप सभागीय विपणन अधिकारी (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
(ख) अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थी की जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण -पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, PB, PD

(7) खण्ड विकास अधिकारी (ग्राम्य विकास विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, OL, PB, PD

(8) सहायक निबन्धक (सहकारिता, गन्ना एवं चीनी विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" तथा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—PB, PD

(9) सहायक श्रमायुक्त (श्रम विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: सहायक श्रम आयुक्त के पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य/कल्याण, व्यापार प्रबन्ध, कार्मिक प्रबन्धन विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए।

(ख) अधिमानी अर्हता: ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने —

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। या

(तीन) एन0एस0एस0 का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, OL, PB, PD

(10) सहायक निदेशक, कारखाना/ब्यायलर(श्रम विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए।

(ख) अधिमानी अर्हता: ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने —

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, OL, PB, PD

(11) सहायक गन्ना आयुक्त (गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता: ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने —

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट:- अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, OL, PB, PD

(12) उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा निदेशक) विधि अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, मण्डलीय विधि अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) (शिक्षा विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता:

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण (बी०एड०) उपाधि।

(दो) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

नोट-1. विधि अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय), मण्डलीय विधि अधिकारी (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा) हेतु उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक सवंग) नियमावली 2013 के भाग 3 के भर्ती का स्रोत 5 के (छ) (ii) के अनुसार परिशिष्ट के क्रम संख्या-6 पर कार्यरत अधिकारियों में से जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो की तैनाती की जायेगी।

2. अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, OL, B, PB, PD, D

(13) सहायक निदेशक, मत्स्य (पशुपालन विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:

(एक) मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एम०एस०सी० अथवा

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुम्बई से द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी, अथवा

(तीन) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मात्स्यिकी विज्ञान में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम।

(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(14) सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बी०एड० उपाधि (डी०फिल०/पी०एच०डी० को वरीयता)।

(ख) अधिमानी अर्हता: अभ्यर्थी जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट-कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) खेल प्रतियोगिताओं में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

(15) जिला पर्यटन विकास अधिकारी (पर्यटन विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन/होटल मैनेजमेन्ट/सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो।

(दो) हिन्दी-अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।

(16) प्रचार अधिकारी (पर्यटन विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसम्पर्क/पत्रकारिता/सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो।

(दो) हिन्दी-अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटर का ज्ञान।

(17) सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा श्रेणी-2, विकास शाखा) (कृषि विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्षमान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता— किसी अभ्यर्थी को जिसने —

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट-कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

(18) सहायक निदेशक (सांख्यिकी) (कृषि सेवा श्रेणी-2, सांख्यिकी शाखा) (कृषि विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता

(एक) सरकारी आंकड़ों और उनके निर्वचन में पांच वर्ष का अनुभव।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/कृषि सांख्यिकी में पी-एच.डी. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

(तीन) संगणक प्रोग्रामर और पी0सी0ए0टी0/एक्स0टी0 के संचालन का ज्ञान।

(चार) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(पांच) नेशनल कैडेट-कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

नोट:— अनुभव प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(19) सहायक निदेशक/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी/केन्द्र प्रभारी (कृषि सेवा श्रेणी-2, अभियंत्रण शाखा) (कृषि विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

(20) सहायक निदेशक (रसायन) (कृषि सेवा श्रेणी-2, रसायन शाखा) (कृषि विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में पी0एच0डी0 की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

(21) सहायक निदेशक, उद्यान (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर (कृषि) (एम0एस0सी0 (कृषि)/ विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(22) खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: विज्ञान स्नातक (बी0एस0सी) या विज्ञान स्नातक (कृषि) (बी0एस0सी0 (कृषि) की उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बाबन्द संस्थान, लखनऊ से या किसी अन्य संस्थान से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंध और भोजन प्रबंध में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया हो या खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि (एम0एस0सी0) प्राप्त की हो। या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्नपत्र (विषय) के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(23) उद्यान विकास अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान में विज्ञान स्नातक (कृषि), बी0एस0सी0 (कृषि) या उद्यान विषय में समकक्ष उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—

- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(24) पौध सुरक्षा अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर (कृषि) (एम0एस0सी0 (कृषि)/ विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।
- (ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(25) मशरूम विकास अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर (कृषि) (एम0एस0सी0 (कृषि)/ विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।
- (ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(26) सहायक निदेशक, रसायन (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर (कृषि) (एम0एस0सी0 (कृषि)/ विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।
- (ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(27) सहायक निदेशक, वनस्पति विज्ञान (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर (कृषि) (एम0एस0सी0 (कृषि)/ विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) उपाधि।
- (ख) अधिमानी अर्हता:— अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(28) सांख्यिकी अधिकारी (उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग)

- (क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय से सांख्यिकी (गणितीय) में कम से कम दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया हो।
- (ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने—

- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो,

(29) सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में एक वर्ष का डिप्लोमा अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि।

(ख) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा—

(एक) समाचार पत्रों और पत्र पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन—व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(तीन) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। या

(चार) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:— अनुभव प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

(30) परिवहन कर अधिकारी-01 (परिवहन विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान रखता हो।

(ख) अधिमानी अर्हता:—अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(31) बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(ख) अधिमानी अर्हता : अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :—

(एक) ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो। या

(दो) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:— 1. अनारक्षित पदों के सापेक्ष दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी—OA, B, PB, PD

2. अनुभव प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

5. शारीरिक मापदण्ड :

(1) पुलिस उपाधीक्षक— उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के परिशिष्ट— “ख” के प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् शारीरिक मापदण्ड अपेक्षित है—

(क) ऊँचाई :—

क्रमांक	वर्ग	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग	167.7 सेमी.	152 सेमी.
2	अनुसूचित जन जाति	160 सेमी.	147 सेमी.
3	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 सेमी.	147 सेमी.

(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) :—

क्रमांक	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
1	अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 सेमी0	81.5 सेमी0
2	सामान्य व अन्य अभ्यर्थी	78.8 सेमी0	83.8 सेमी0

(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) :— न्यूनतम 45 किग्रा0

उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख 6/6 व दूसरी आँख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आँख 6/6 और बाँये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आँख 6/6 होनी चाहिए और वर्णाधता/भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैंग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियों व अन्य समस्याएं जो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

6. आयु : आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1979 से पूर्व तथा 1 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूट: विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(i) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह “क” तथा “ख” के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iii) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iv) शासनादेश संख्या: 17/2/1981—कार्मिक—2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष

की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित अनुमन्य नहीं होगी:-

- (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
- (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जानें वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

8. **आरक्षण** : उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (दिव्यांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) शासनादेश संख्या 196/XVII-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च 2011 के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। अतः दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

(ग) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2) /2020-53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ मुख्य/लिखित परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(घ) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ङ) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-3" में उल्लिखित प्रारूप/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ मुख्य/लिखित परीक्षा से पूर्व अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-3" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर मुख्य/लिखित परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(च) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित

स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण के दावे के समर्थन में सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

9. **राष्ट्रीयता** : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख)के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. **चरित्र** : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. **वैवाहिक प्रास्थिति** : सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

12. **शारीरिक स्वस्थता** : किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व-

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-II भाग-III के अध्याय-III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :

- (1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या <https://ukpsc.net.in> पर जायें।
- (2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् <https://ukpsc.net.in> पर जाकर **MenuBar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात् **Apply Now** पर क्लिक करें।
- (3) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् **Basic Information** फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Continue** पर क्लिक करें। **Continue** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर **Tick** कर **Edit Data** पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फॉर्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

- (4) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile No.** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।
- (5) **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** अथवा **Proceed To Next Step** बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में **Clear** पर क्लिक कर Graduation/ Post Graduation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर **Submit** बटन पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर **Continue** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् **Upload Images** पर क्लिक कर **Photo** एवं **Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo** एवं **Signature** के अपलोड होने के पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को **Tick** करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु **Click here to Make Payment** पर क्लिक करें। **I Agree** पर **Tick** करने के पश्चात् **Pay Now** पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् **Print Application Form** पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

- (6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Proceed to Cancel** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु

Back बटन पर क्लिक करें। **Proceed to Cancel** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको की **Enter OTP** वाली फील्डस पर दर्ज कर **CancelApplication** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Cancel**) करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट : 1. आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी **Email-Id/Mobile Number** एवं **Password** के माध्यम से **Login** करने के पश्चात् **Update Personal Information** पर क्लिक कर, Personal Information, **Update Educational Information** पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं **Reload Images** पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नं० को **Edit/Update** नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

2. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। (उक्त परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक श्रेणी (अनाथ को छोड़कर) हेतु 26.55 रुपये है।)

4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद **Click here for Final Submission** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

14. शुल्क : प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Cardके माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	₹ 150.00	₹ 26.55	₹ 176.55
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	₹ 150.00	₹ 26.55	₹ 176.55
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	₹ 60.00	₹ 26.55	₹ 86.55
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	₹ 150.00	₹ 26.55	₹ 176.55
05.	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	₹ 26.55	₹ 26.55
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट : (1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा— सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या— 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं०— 232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू० 26.55 देय होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :

आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013** एवं प्रथम संशोधन 2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन-2013, द्वितीय संशोधन-2014, तृतीय संशोधन-2015 व चतुर्थ संशोधन-2016) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(क) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु निर्देश:

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा एक छंटनी परीक्षा (Screening exam) है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे।
- (2) प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्नपत्र होंगे तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।
- (3) प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) अर्हकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट के अनुसार तैयार किया जाएगा।
- (4) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।
- (5) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
- (6) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाईन प्रवेश-पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** : सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (8) **उत्तर कुँजी आपत्ति** : वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुँजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुँजी के

प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष रू0 50.00 (रू0 पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापिस नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

- (9) गलत उत्तरों के लिए दण्ड : वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा—
- (क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(ख) मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश :

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख (परिशिष्ट-8) मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा—

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण-पत्र/उपाधि व अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) व अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), एवं दावित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र तथा ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र की प्रिंटआउट प्रति।

(ख) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी. एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा उर्ध्वधर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु/शुल्क में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि के पूर्व जारी हुआ हो।

- (2) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई-निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र, ऑनलाइन जमा की गयी परीक्षा शुल्क की रसीद आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की वैध छायाप्रतियाँ (परिशिष्ट-8 के अनुसार) आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा किये हों तथा आयोग में प्राप्त उक्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 यथा संशोधित के

आलोक में अर्ह पाया जाएगा। उक्त सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- (3) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाईन परीक्षा शुल्क प्राप्त किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (4) मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹0 250/- उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क ₹0 150/- तथा उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति श्रेणी, के अभ्यर्थियों से ₹0 100/- प्राप्त किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड के चिह्नित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा।
- (5) अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2019 में उल्लिखित शर्तानुसार अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
- (6) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (7) प्रश्नगत विज्ञापन में विभिन्न विभागों के पद विज्ञापित किये गये हैं उक्त पदों पर चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता का अंकन करना आवश्यक है।
- (8) मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। इस संबंध में प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र के नगर हेतु विकल्प ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा में प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) का प्रयोग किया जायेगा। इस पुस्तिका में अंकित प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी को पुस्तिका में ही निर्धारित स्थान पर ही लिखना होगा।
- (9) यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।
- (10) अभ्यर्थी परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बंधित प्रश्न के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।
- (11) अभ्यर्थी प्रश्न-उत्तर पुस्तिका **Question-Answer Booklet (QAB)** के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासांगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।
- (12) प्रश्न-पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

- (13) प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।
- (14) अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।
- (15) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका Question-Answer Booklet (QAB) में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही प्रश्न का उत्तर लिखे। रफ कार्य (Rough Work) के लिए प्रश्न-उत्तर पुस्तिका के अन्त में पृष्ठ दिये गये हैं।
- (16) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—
- (i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
 - (ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
 - (iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर $1/2$ अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर $1/4$ अंक की कटौती की जायेगी।
 - (iv) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
 - (v) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।
 - (vi) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।
 - (vii) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में अप्रासांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।
 - (viii) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
 - (ix) प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
 - (x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या 'अबस' एवं पते के स्थान पर ABC या 'कखग' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
 - (xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ग) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश:

- (1) मुख्य/लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।
- (2) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

- (3) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (5) पदों का आवंटन प्रवीणता सूची, शैक्षिक अर्हता, आयु, सेवा नियमावली, श्रेणी-उपश्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ऑनलाइन वरीयता के आधार पर किया जायेगा। प्रश्नगत चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रपत्र में दी गयी वरीयता में से एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जायेगा, अर्थात् किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा।
- (6) लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।
- (7) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पदों के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

16. सामान्य निर्देश :

- (1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (3) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (4) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

- (6) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**
- (7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (8) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रारम्भिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- (9) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश" (परिशिष्ट-4) के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।
- (10) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं० तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (11) अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञापित राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।
- (12) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।
- (14) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (15) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (प्रथम संशोधन 2016) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।**
- (16) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:** अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी

दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

- (17) **परीक्षा भवन में आचरण** : परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- (18) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा : 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।
- (19) **न्यूनतम अर्हक अंक** :उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (प्रथम संशोधन-2013, द्वितीय संशोधन-2014, तृतीय संशोधन-2015 व चतुर्थ संशोधन-2016) के प्रावधानों एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14 मई, 2019 एवं 26 जून, 2019 अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक परिशिष्ट-7 में उल्लिखित हैं।
- (20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2021 हेतु अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के कॉलम में प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निम्नांकित नगरों में से अपना विकल्प प्रस्तुत करें:-

नगर का नाम	नगर कोड
अल्मोड़ा	01
रानीखेत	02
चम्पावत	03
पिथौरागढ़	04
नैनीताल	05
हल्द्वानी	06
रुद्रपुर	07
खटीमा	08
बागेश्वर	09
पौड़ी	10
श्रीनगर	11
कोटद्वार	12
गोपेश्वर	13
नई टिहरी	14
रुद्रप्रयाग	15
उत्तरकाशी	16
देहरादून	17
ऋषिकेश	18
हरिद्वार	19
रूड़की	20

- नोट-1.** अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2.** प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य/लिखित परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

परीक्षा योजना

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 हेतु परीक्षा योजना निम्नवत् है :-

1. प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा योजना :-

क्र०स०	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय अवधि
1	सामान्य अध्ययन (General Studies)	150 (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)	150	02 घण्टे
2	सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (General Aptitude Test)	100 (प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का)	150	02 घण्टे
		कुल	300	04 घण्टे

नोट : प्रारम्भिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्नपत्र (सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) अर्हकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) हेतु परीक्षा योजना :-

क्र०स०	प्रश्न पत्र	विषय	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	प्रथम प्रश्न पत्र	भाषा (Language)	300	03 घण्टे
2	द्वितीय प्रश्न पत्र	भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति (History of India, National Movement, Society and Culture)	200	03 घण्टे
3	तृतीय प्रश्न पत्र	भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबन्ध (Indian Polity, Social Justice and International Relation)	200	03 घण्टे
4	चतुर्थ प्रश्न पत्र	भारत एवं विश्व का भूगोल (Geography of India and World)	200	03 घण्टे
5	पंचम प्रश्न पत्र	आर्थिक एवं सामाजिक विकास (Economic and Social Development)	200	03 घण्टे
6	षष्ठम प्रश्न पत्र	सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (General Science and Technology)	200	03 घण्टे
7	सप्तम प्रश्न पत्र	सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र (General Aptitude and Ethics)	200	03 घण्टे
कुल अंक			1500	

नोट- सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। भाषा प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. साक्षात्कार (Interview) 200अंक

उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षापाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्न पत्र –प्रथम (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का)

समय अवधि : 02 घण्टे

पूर्णांक : 150

यूनिट – 1

भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

प्रागैतिहासिक काल – हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संगम युग; महाजनपद और मगध का उत्कर्ष; धार्मिक आंदोलन—जैनधर्म, बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव मत; पारसी एवं यूनानी संपर्क और संबंधित अन्य पहलू।

मौर्य साम्राज्य – चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसका धम्म; मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला; कुषाण और संबंधित अन्य पहलू।

गुप्त साम्राज्य – स्थापना, सुदृढीकरण एवं पतन; चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त; गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं कला और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तर-गुप्त काल – हर्षवर्द्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चन्देल, परमार, चौहान; 650 ई० से 1200 ई० के मध्य सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक विकास और संबंधित अन्य पहलू।

भारत में इस्लाम का आगमन— इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद-बिन-तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकन्दर लोदी और इब्राहीम लोदी; दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण: समाज और अर्थव्यवस्था, इंडो-इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य, सूफीमत और भक्ति आंदोलन और संबंधित अन्य पहलू।

मुगल साम्राज्य— बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्थाएं, मुगलकालीन समाज और अर्थव्यवस्था: साहित्य कला एवं स्थापत्य; मराठा, सिख एवं जाट और संबंधित अन्य पहलू।

यूरोपियों का आगमन— पुर्तगाली, डच और फ्राँसीसी,

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी और ब्रिटिश शासन—(1758-1857) और संबंधित अन्य पहलू ।

ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव और संबंधित अन्य पहलू।

उन्नीसवीं सदी के सामाजिक, धार्मिक सुधार आन्दोलन और संबंधित अन्य पहलू ।

भारत के वाइसराय(1858-1947)

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857), उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के गैर-आदिवासी, आदिवासी, जातीय एवं किसान आंदोलन, 1857 के बाद का ब्रिटिश शासन, भारत सरकार अधिनियम (1858) और संबंधित अन्य पहलू

1858 के बाद की प्रशासनिक, सामाजिक एवं न्यायिक प्रणाली— प्रशासनिक, शिक्षा एवं न्यायिक सुधार और संबंधित अन्य पहलू।

भारत में राष्ट्रवाद का विकास; राष्ट्रीय आंदोलन का उदय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस— उद्गम, उदारवादी एवं अतिवादी दल

बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन (1907), मार्ले-मिण्टो सुधार (1909)

प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आन्दोलन— होमरूल आंदोलन, लखनऊ समझौता(1916), 1917 की अगस्त घोषणा, क्रांतिकारी आन्दोलन, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम(1919), रौलेट अधिनियम (1919), जलियावाला बाग नरसंहार(13 अप्रैल, 1919), खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरीचौरा की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्यूनल अवार्ड एवं पूना समझौता।

भारत सरकार अधिनियम (1935)— पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, आजाद हिन्द फौज, अन्तरिम सरकार, माउण्टबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(1947), भारत का विभाजन, आजादी के बाद का भारत, नवीन क्रियाकलाप एवं सम्बन्धित संगठन और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड का इतिहास एवं संस्कृति

प्रागैतिहासिक काल

आद्य ऐतिहासिक काल

उत्तराखण्ड की प्राचीन जनजातियां

कुण्ड एवं यौधेय

कार्तिकेयपुर राजवंश

कत्यूरी राजवंश

गढ़वाल का परमार राजवंश; कुमाऊँ का चंद राजवंश,

गोरखा आक्रमण एवं शासन

ब्रिटिश शासन

टिहरी रियासत

उत्तराखण्ड में स्वतंत्रता संघर्ष—1857 एवं उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखण्ड का योगदान; उत्तराखण्ड के जनआंदोलन।

संबंधित अन्य पहलू।

यूनिट— 2

भारत एवं विश्व का भूगोल

विश्व का भूगोल : विविध शाखाएं, पृथ्वी एवं सौरमण्डल, अक्षांश देशान्तर, समय, परिभ्रमण, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, जलमंडल, झीलें एवं चट्टान, वायुमण्डल की परतें, संरचना, सौर्यताप, आर्द्रता, महासागरीय नितल की बनावट, धाराएँ, ज्वार—भाटा, तापमान एवं खारापन, कृषि, पौधे, जन्तु, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियां एवं जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, पर्यावरण एवं विश्व व्यापार (क्षेत्रीय आर्थिक गुट), भौगोलिक शब्दावली और संबंधित अन्य पहलू।

भारत का भूगोल : भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, पौधे, जन्तु, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बिजली, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, परिवहन, संचार, संचार तंत्र, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, सामाजिक परिस्थितियां, अधिवास एवं प्रदूषण और संबंधित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड का भूगोल : भौगोलिक अवस्थिति, भू-आकृति एवं संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तन्त्र, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातियां, परिवहन तन्त्र, ऊर्जा संसाधन एवं औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं और संबंधित अन्य पहलू।

यूनिट —3

भारतीय राजव्यवस्था

राष्ट्रीय —

1. संसदीय प्रणाली।
2. गठबंधन की राजनीति।
3. क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, और नक्सलवाद।

4. कल्याण : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक (संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रभाव के संदर्भ में)
5. लिंग राजनीति : समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा, सुरक्षा के उपाय।
6. भारत में चुनाव सुधार।
7. शासन : संस्थान और प्रक्रिया।
8. राष्ट्रीय एकता।
9. भारत की नाभिकीय नीति।
10. पर्यावरणीय समस्याएं।
11. आर्थिक और वित्तीय सुधार: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण (एल0पी0जी0) और राजनीति तथा शासन पर इसके प्रभाव, आयोजना तंत्र तथा आयोजना की प्रक्रिया और बैंकिंग क्षेत्र (आर0बी0आई0, नाबार्ड और आई0डी0बी0आई0 आदि)।
12. भारत में संस्थागत सुधार अर्थात्, एम0एन0आर0ई0जी0ए0, एन0आर0एच0एम0, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 आदि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के तरीके।
13. देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी।
14. सिविल सोसायटी।
15. लोकपाल और लोकायुक्त।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अन्तर्राष्ट्रीय –

1. संयुक्त राष्ट्र।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं।
3. वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं।
4. सार्क, आसियान और साफ्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट।
5. विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण: निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्विकता।
6. ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व।
7. सम्बन्धित अन्य पहलू।

भारत का संविधान –

1. भारत में संविधानात्मक विकास।
2. संवैधानिक असैम्बली।
3. उद्देशिका।
4. भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं (इसके विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सिद्धांत सहित)
5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य।
6. राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांत।
7. संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन।
8. भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली।
9. संसदीय समितियां (लोक लेखा समिति, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति)।
10. संवैधानिक निकाय : चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
11. न्यायपालिका : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
12. सम्बन्धित अन्य पहलू।

भारतीय राजनीति –

1. **संघीय कार्यपालिका** : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय, और प्रधानमंत्री कार्यालय।
2. **राज्य कार्यपालिका** : राज्यपाल, मुख्य मंत्री और मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव।
3. भारत में संसद और राज्य विधान सभाएं।
4. चुनाव तंत्र और प्रक्रिया।
5. राजनीतिक दल और दबाव समूह।
6. राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध।
7. भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास।
8. राजनीतिक सामाजीकरण की एजेंसियां।
9. भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास।
10. भारत में राज्यों का पुनर्गठन।
11. संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन।
12. प्रशासनिक सुधार (विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों सहित)।
13. जिला प्रशासन।
14. सम्बन्धित अन्य पहलू।

पंचायती राज –

1. स्थानीय शासन : 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
2. राज्य वित्त आयोग : कार्य और भूमिका।
3. स्थानीय निकायों को अधिकार देना।
4. भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप : नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद।
5. सम्बन्धित अन्य पहलू।

लोक नीति –

1. सुशासन : सीटिजन चार्टर और ई-गवर्नेंस।
2. भ्रष्टाचार का निवारण और लोकपाल तथा लोकायुक्त।
3. सूचना का अधिकार।
4. शिक्षा का अधिकार।
5. सेवा का अधिकार।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अधिकारों से संबंधित मुद्दे –

1. मौलिक अधिकार।
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
3. भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार।
4. सम्बन्धित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड की राज व्यवस्था–

शासन प्रणाली, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केन्द्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा-परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र,

अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्राविधान, राज भाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदण्ड, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनैतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे (शिक्षा, रोजगार, विकास आदि), सुशासन (भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि) और सम्बन्धित अन्य पहलू।

यूनिट – 4

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

राष्ट्रीय –

1. आर्थिक नीति : भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी0 आई), मुद्रास्फीति, समाहिक प्रगति, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय संरक्षण।
3. गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम, मानव विकास सूचकांक (एच डी आई)।
4. जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। आर्थिक विकास और जनसंख्या। नगरीकरण से सम्बन्धित मुद्दे।
5. केन्द्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं।
6. भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं।
7. भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार (वैदेशिक क्षेत्र), वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दिशा।
8. कर सुधार एवं बैंकिंग व्यवसाय।
9. योजनागत विकास।
10. राष्ट्रीय विकास परिषद।
11. राष्ट्रीय आय।
12. भारतीय कृषि (कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रान्ति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न मूल्य, बफर स्टॉक, कृषि नीति, कृषि/बीज बीमा योजना)।
13. भारतीय वित्तीय/मुद्रा/पूंजी/प्रतिभूति बाजार।
14. बीमा क्षेत्र, कर संरचना, लोक वित्तीय एवं राजकोषीय नीति।
15. अवधारणाएं (व्यावर्ती योजना, स्वीट शेयर, हवाला, गिल्ट एज बाजार, काला बाजार, काला धन इत्यादि)।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।

अंतर्राष्ट्रीय–

1. विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि(IMF), विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN), दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार (SAPTA), ब्रिक्स (BRICS), ओपेक (OPEC) एवं अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संगठन।
2. पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी।
3. विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (FERA), प्रिवेंशन ऑफ मनी लैडरिंग एक्ट (PMLA)।

4. विश्व मानव सूचकांक।
5. पारिभाषिक शब्दावली।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।

उत्तराखण्ड—

अर्थव्यवस्था एवं बजट की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं, कर/आर्थिक सुधार, योजनागत विकास, कृषि, पशुधन, खाद्यान्न सुरक्षा, लोकवित्त, राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, जड़ी-बूटी एवं संस्कृति का आर्थिक विकास में योगदान और सम्बन्धित अन्य पहलू।

यूनिट -5

सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी: इतिहास और योगदान

समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन इत्यादि।

राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विषयक अन्य संगठन— आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईपीसीसी, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में कम्प्यूटरों का अनुप्रयोग, ई-गवर्नेन्स आदि।

पारिस्थिति और पर्यावरण— पर्यावास, सामुदायिक पर्यावरणीय प्रणाली, संरचनात्मक कार्य और अनुकूलन, वनस्पतियां एवं उनका वर्गीकरण, परम्परागत खेती, वाणिज्यिक कृषि एवं कृषि का वाणिज्यिकरण, कृषि फसलों का उत्पादन एवं उनका क्षेत्रीय वितरण (राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर), कृषि समस्याएं, कृषिक विविधता इत्यादि।

प्राकृतिक संसाधन—मृदा, जल, वायु, वन, घासभूमि, आर्द्र भूमि, समुद्रीय, नवीनीकरण और गैर नवीनीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन।

जैव विविधता— जोखिम और संरक्षण, आचारनीति और उपयोग

पर्यावरणीय संकट: वायु, जल, मृदा और अंतरिक्ष प्रदूषण, नियम और अधिनियम, भूमंडलीय ऊष्मता।

भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन—कारण और प्रभाव

सुदूर संवेदन की अवधारणा और जीआईएस अनुप्रयोग।

मौसम पूर्वानुमान।

सैटलाइट (विस्तारण) का अनुप्रयोग और आधार आंकड़ों का अनुप्रयोग।

भौतिकी (फिजिकल) विज्ञान/जागरूकता — कम्प्यूटर और सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत, मौलिक कम्प्यूटर संगठन, बूलियन बीजगणित, लॉजिक गेट्स, समस्या समाधान तकनीकें और कम्प्यूटर भाषाएं, व्यापारिक आंकड़ा प्रक्रमण, आंकड़ा सम्प्रेषण और कम्प्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा, इंटरनेट और मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों का उपयोग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, पीसी का अनुप्रयोग, साफ्टवेयर पैकेज, साईबर अधिनियम के मूलभूत तत्व आदि।

पदार्थ और इसकी अवस्थाएं, अम्ल, आधार रूप और लवण, तत्वों का उद्गम और वितरण, भारी और हल्का पानी, सघन पानी, शुद्धिकरण, बैट्रियां, ईंधन सैल, विनाषण, विखंडन और संलयन, समानता के तत्व, पोलिमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन, औषध और स्वास्थ्य देखभाल, डाईज, कॉस्मेटिक, खाद्य रसायन—विज्ञान आदि।

यांत्रिकी, पदार्थ की सामान्य विशेषताएं, तरंग गति, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, ऊष्मा, प्रकाश।

चुम्बकत्व, विद्युत, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी, खगोल विद्या और अंतरिक्ष भौतिकी, एक्स-रे और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी आदि।

जीवन (Life) विज्ञान –शाखाएं, योगदान, प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन।

जैव-विविधता, जैव-प्रौद्योगिकी, अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, आनुवांशिक रूप से आशोधित जीवधारी, भूमंडलीय ऊष्मता और जलवायु परिवर्तन, पशुपालन, पादप और मानव कल्याण इत्यादि।

वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली।

उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि में उनका योगदान इत्यादि।

यूनिट –6

राज्य, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनायें।

महाद्वीप एवं विश्व के देश, विश्व अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएँ, विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, विश्व/भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में वरीयता अनुक्रम, विश्व/भारत के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख दर्रे, भारत के नृत्य, सांस्कृतिक संस्थान, संगीत, चित्रकला, भारतीय भाषायें, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियाँ, खेल परिदृश्य, मुख्य खेल तथा खेलों से सम्बन्धित शब्दावली, सम्मेलन/प्रदर्शनी/महोत्सव/कांफ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और सम्बन्धित अन्य पहलू।

**Uttarakhand State Combined Civil/Upper Sub-ordinate
Preliminary Examination Syllabus
General Studies (Objective Type)**

Paper – 1 (Each Question of 1 Mark)

Time Allowed: 02 Hours

MM : 150

Unit- 1

Indian History, Culture and National Movement

Pre-Historic Period- Harappa Civilization, Vedic Civilization and Sangam Age - Mahajanapadas and rise of Magadh; Religious Movements - Jainism, Buddhism, Bhagavatism and Shaivism; Persian and Greek Contacts and other related aspects.

Mauryan Empire - Chandragupta Maurya, Ashoka and his Dhamma; Mauryan Administration, Economy, Society and Art; Kushanas and other related aspects.

Gupta Empire - Foundation, Consolidation and Decline; Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta II, Skandagupta; Gupta Administration, Society, Economy, Literature and Art and other related aspects.

Post-Gupta Period- Harshavardhan, Pal, Pratihara, Rashtrakuta, Chola, Pallava Chandel, Paramar, Chauhan; Social, Economic and Cultural Development between 650 A.D. and 1200 A.D and related other Aspect.

Advent of Islam in India- Iltutmish, Balban, Alauddin Khalji, Muhammad bin Tughlaq, Feroze Tughlaq, Sikandar Lodi and Ibrahim Lodi; Administration in Delhi Sultanate, Causes of decline of Delhi Sultanate, Society and Economy during Sultanate period, Indo-Islamic Architecture, Vijaynagar Empire, Sufism, Bhakti movement and other related aspects.

Mughal Empire - Babar, Shershah Suri, Akbar, Shahjahan, Aurangzeb and decline of Mughal Empire, Mughal administration, Jagirdari and Mansabdari systems, Society and Economy during the Mughal period, Literature, Art and Architecture; Maratha, Sikh and Jat and other related aspects.

Advent of Europeans - Portuguese, French, Dutch, British East India Company and British administration (1758-1857), British administration (1758-1857).

Economic impact of British rule and other related aspects.

Socio-religious Reform Movement during 19th Century. Viceroy's of India (1858-1947) and other related aspects.

First War of Independence (1857), Tribal, Non-Tribal, Caste and Peasant movements during 19th and 20th century; British administration after 1857 and other related aspects.

Government of India Act 1858, Administrative and Judicial systems after 1858-Administration, Social, Educational, Judicial Reforms and other related aspects.

Growth of Nationalism in India, Rise of National Movement.

Indian National Congress- Foundation, Moderates and Extremists.

Partition of Bengal, Swadeshi movement, Foundation of Muslim League, Surat Session and the split of Congress (1907), Morley-Minto Reform (1909).

First World War and Indian National Movement- Home Rule Movement, Lucknow Pact (1916), August Declaration of 1917, Indian Revolutionary Movements in India and abroad. Beginning of Gandhian era, Government of India Act (1919), Rowlatt Act (1919), Jallianwala bagh Massacre (13 April, 1919), Khilafat Movement, Non Co-

operation Movement Chaurichaura- episode, Swaraj Party, Simon Commission, Nehru Report, 14th points of M.A. Jinnah, Lahore Session of Indian National Congress (1929), Civil Disobedience Movement, First Round Table Conference, Gandhi-Irwin Pact, Second and Third Round Table Conference, Communal Award and Poona Pact.

Government of India Act 1935 - Demand of Pakistan, Cripps Mission, Quit India Movement, Cabinet Mission Plan, Indian National Army, Interim Government, Mountbatten Plan, Indian Independence Act(1947), Partition of India, India after Independence, New activities and Related Organizations and other related aspects.

History and Culture Of Uttarakhand

Pre-historic Period.

Proto-historic period.

Ancient tribes of Uttarakhand

Kuninda and Yaudheya

Kartikepur dynasty

Kattyuri dynasty

Parmar dynasty of Garhwal

Chand dynasty of Kumaon

Gorkha Invasion and their rule in Uttarakhand

British Rule

Tehri Estate

Freedom Movement in Uttarakhand- First war of Independence (1857) and Uttarakhand

Role of Uttarakhand in India's national movement

People's movements of Uttarakhand.

other related aspects.

Unit- 2

Indian and World Geography

Geography of world : Important Branches, Earth and Solar System, Lithosphere, Latitudes, Longitudes, Time, Rotation, Revolution, Eclipses, Continents, Mountains, Plateaus, Planes, Hydrosphere, Lakes and Rocks, Atmospheric layers, Composition, Isolation, humidity. Oceanic relief, Currents, Tides, Temperature and Salinity. Agriculture, Plants, Insect, Livestock breeding, Power and Minerals, Resources, Industries, Population, Species and Tribes, Migration, Transport, Communication, International boundary line, Environment and World Trade (Regional Economic Group), Geographical Glossary and other related aspects.

Geography of India : Geographic Introduction, Relief and Structure, Climate, Drainage system, Vegetation, Plants, Insect, Livestock breeding, Irrigation, Power, Soils, Water Resources, Agriculture, Minerals, Industries, Population and Urbanization, Transport, Communication System, Foreign Trade, Scheduled Caste/Tribes, Social ecologies, Domicile and Pollution and other related aspects.

Geography of Uttarakhand : Geographical location, Relief and Structure, Climate, Drainage system, Vegetation, Wild life, Minerals, Agriculture, Animal Husbandry, Irrigation, Major Cities and Tourist Places, Populations , Schedule Caste/Tribes, Transport Network, Power Resource and Industrial development, Natural hazards and other related aspects.

Indian Polity

National

1. Parliamentary system
2. Coalition Politics
3. Regionalism, Casteism, Communalism, Terrorism and Naxalism
4. Welfare : SC/ST/OBC's and Minorities (with reference to constitutional provisions, legal framework, institutional arrangement, process and implications)
5. Gender Politics (Equality, reservation, empowerment, welfare and safety/ security measures)
6. Electoral reforms in India
7. Governance : Institutions and process
8. National integration
9. Nuclear policy of India
10. Environmental Concerns
11. Economic and financial reforms : Liberalization, Privatization and Globalization (LPG) and its impact on politics and governance ; planning machinery and planning process and banking sector (RBI, NABARD and IDBI etc)
12. Institutional reforms in India like MNREGA, NRHM, JNNURM etc., Public private partnership (PPP) mode.
13. Citizen Participation in Political and Administrative processes of the country
14. Civil society
15. Lok pal and Lok Ayukt
16. Other related aspects.

International

1. United Nations
2. International Organization
3. Environmental concerns at global level
4. SAARC, ASEAN , SAFTA and another regional groups
5. India's Approach to major world issues : Disarmament, Human Rights and Globalization
6. BRICS and its importance for India
7. Other related aspects

Constitution of India

1. Constitutional Development in India
2. Constituent Assembly
3. Preamble
4. Basic Features of Indian Constitution (Including its various parts, Important articles and schedules)

5. Fundamental Rights and Duties
6. Directive Principles of State policy
7. Constitutional Amendment method and important constitutional amendments
8. Federal and Parliamentary system of Governance in India
9. Parliamentary Committees (Public Accounts committee, Estimate Committee and Joint Parliamentary Committee)
10. Constitutional Bodies : Election Commission and Comptroller and Auditor General
11. Judiciary : Supreme Court and High Courts
12. Other related aspects

Indian Polity –

1. Union Executive : President, Prime Minister and Council of Ministers, Cabinet Secretariat, Central Secretariat and PMO
2. State Executive : Governor and Chief Minister and Council of Ministers, State Secretariat and Chief Secretary
3. Union Parliament and State Legislatures in India
4. Election Machinery and Process
5. Political Parties and Pressure Groups
6. Politicians and Civil servant Relationships
7. Development of Political Culture in India
8. Agencies of Political socialization
9. Evolution and Growth of Administrative system in India
10. Re-organization of states in India
11. Administration of Union Territories and other specified states and areas in India
12. Administrative reforms (including various important Committees and Commissions)
13. District Administration
14. Other related aspects

Panchayati Raj

1. Local Governance : 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts
2. State Finance Commission : Functions and Role
3. Devolution of powers to local bodies
4. Types of local bodies in India : Municipal corporations, Municipal councils, Nagar Panchayat, Gram Panchayat, Panchayat Samities and Zila Parishad
5. Other related aspects

Public Policy-

1. Good Governance : Citizen Charter and E-Governance
2. Prevention of Corruption and Lok Pal and Lok Ayuktas
3. Right to Information
4. Right to Education
5. Right to services

6. Other related aspects

Issues Concerning Rights

1. Fundamental Rights
2. Protection of Civil Right Act, 1955
3. Various rights pertaining to protection of SCs,STs, Issues related Minorities, Women and Children and Old persons in India
4. Other related aspects

Political System of Uttarakhand :-

Governance, Governor, Legislation, Chief Minister, Council of Ministers, Central State Relation, Public Services, Public Service Commission, Auditing, Advocate General, High Court and it's jurisdiction, Provision for minorities, Schedule Caste/Tribes, Special State Selection Criteria, Official Language, Consolidated fund and Contingency Fund, Political Parties and Election, Local Government and Panchayati Raj, Community Development, Public Policy, Right Related Issues (Education, Employment, Development etc.) Governance (Prevention of Corruption, Lok Ayukt, Citizen charter, E-Governance, Right to Information, Samadhan Yojna etc.) and other related aspects.

Unit – 4

Economic and Social development

National

1. **Economic Policy** : Economic Reforms in India, Liberalization, Privatization and Globalization.
2. Foreign Direct Investment (F.D.I), Inflation, Inclusive Growth, Economic development v/s Environmental conservation.
3. Programmers for eradication of poverty and unemployment. Human Development Index (H.D.I).
4. Census and Main features of India and population. Population and Economic Development. Issues related to urbanization.
5. Main features of the union budgets.
6. Main features of the economy of India.
7. Natural and energy resources of India, Trade (with external sector), Commerce, Industries, Schemes and Projects and direction of Economic Growth.
8. Tax reform and Banking Business.
9. Planned Development.
10. National Development Council.
11. National Income.
12. Indian Agriculture (Agricultural productivity, Livestock , Green Revolution, Food Security, Food grain prices, Buffer stock, Agricultural Policy, Agricultural/Seed crop insurance scheme).
13. Indian Financial/Money/Capital/Security Market.

14. Insurance sector, Tax structure, Public finance and fiscal policy.
15. Concepts (Rolling plan, Sweat shares, Hawala, Gilt edge market, Black market, Black money etc).
16. Other related aspects.

International

1. World Trade Organization (W.T.O) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). International Monetary Fund (IMF), World Bank, South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC). Association of South East Asian Nations (ASEAN). South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA), BRICS, OPEC and Other regional Economic and commercial organizations.
2. International flow of capital, human resources and technology.
3. Foreign Exchange Regulation Act (FERA). Foreign Exchange Management Act (FEMA). Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
4. World Human Development Index.
5. Glossary.
6. Other related aspects.

Uttarakhand :

Main Features of economy and budgets, Natural and energy resources, Trade, Commerce, Industries, Schemes and Projects, Tax and economic reforms, Planned development, Agriculture, Live Stock, Food security, Public Finance and fiscal Policy, Census, Human Development Index, Tourism, Role of herbs and culture in the economic development. Other related aspects.

Unit -5

General Science and Technology

Science and Technology in India: History and contribution.

Current affairs - National and International Awards, Prizes, Discoveries, Inventions, Science Congresses, Conferences, Solar technology, Application of new technology for human welfare, health and medicines, Environmental Awareness, Natural Bio resources, etc.

State, National and International Scientific and Research Related other organizations- IUCN, WWF, IPCC, WHO, UNESCO, etc.

Information technology and application of computers in daily life, e-governance, etc.

Ecology and environment-Habitat, community ecosystem, Structure and function, adaptations. Plants and their partition, Traditional agriculture, Commercial agriculture and Commercialization of agriculture, Production of agricultural crops and their regional distribution (State, National and International Level), Problems in agriculture field, Agricultural diversity, etc.

Natural resources – Soil, water, air, forests, grasslands, wetlands, marine. Planning and management of Renewable and non-renewable energy resources.

Biodiversity – Threats and conservation. Ethics and usage
Environmental Crisis: Air, water, soil and space pollution. Laws and Acts, Global warning .

Global climate change – Causes and effects.

Concept of remote sensing and GIS Applications.

Weather Forecasting.

Application of spread sheet and Data Base Applications.

Physical Science/Awareness - Fundamentals of Computer and Information processing, Basic Computer organization, Boolean Algebra, Logic Gates, Problem solving Techniques and Computer Languages, Business data processing, Data Communication and Computer Networks and security, use of Internet and multimedia applications, Cloud computing, Application of PC, Software Packages, Basics of cyber law, etc.

Matter and its States, acids, bases and salts, origin and distribution of element, hard and soft water, heavy water, purification, batteries, fuel cells, corrosion, nuclear fission and fusion, elements of symmetry, polymers, carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipid, hormones, vitamins, medicines and healthcare, dyes, cosmetics, food chemistry, etc.

Mechanics, General properties of matter, Wave motion , Sound and electromagnetic waves, Heat, Light, Magnetism, Electricity, Atomic & Nuclear Physics, Astronomy and space physics. X-rays and semiconductor technology etc.

Life Science – Branches, contribution, Natural Resources and their management.

Biodiversity, Biotechnology, Nanotechnology, Bio products, Vaccines, Immunization, Health care, Genetically modified organisms, Global warming and climate change, Livestock breeding, Plants and Human welfare etc.

Scientific Glossary.

Natural Resources of Uttarakhand and their contribution to National and International Climate change, etc.

Unit -6

Current events of State, National and International Importance.

Continents and Nations, Important events of Space, Wonders of the World, Religions of the World, Indian States, Famous books and writer of the World/India, Famous Scientists, Important Awards, Indian defence system, Health and Family welfare, Scientific and technical development, Education, National symbols, Protocol in India, Important Human rights and welfare organizations of World/India, Important Religious places, Important Passes, Dances of India, Cultural Institutes, Music, Drawing, Indian Languages, World Heritage, Important newspapers, Important Dates, Sports Landscape, Important Sports and related terms, Conventions/Exhibitions/Festival/Conferences, Important Reports and other related aspects.

उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षापाठ्यक्रम

सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नपत्र द्वितीय – प्रश्न संख्या 100 (प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का)

समय अवधि : 02 घण्टे

पूर्णांक : 150 अंक

यूनिट – 1 प्रश्नों की संख्या 80

पूर्णांक : 120 अंक

1. अभिक्षमता परीक्षा

कथन/वचन, सत्य और असत्य कथन (न्यायवाक्य), एमोलोजिन, समरूपता व असमानता, निरूपण, प्रतिबिम्ब/प्रतिरूप

2. सम्प्रेषण व अंतर वैयक्तिक कुशलता

शब्द निर्माण, कूटबद्धता/गैर-कूटबद्धता, संख्यात्मक प्रचालन

3. तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता

तर्क: कथन-दलील, कथन-पूर्वानुमान, कथन-क्रियाविधि, कथन-निष्कर्ष, वाक्य से निष्कर्ष निकालना, विषय-वस्तु का पता लगाना, प्रश्न कथन, वेन-आरेख, अंकगणित संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय तर्क-वितर्क व आकृतात्मक वर्गीकरण, संबंध अवधारणा

4. निर्णय लेना और समस्या समाधान

समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, कथन एवं कारण

5. सामान्य मानसिक योग्यता

दिशा बोधक परीक्षा, सामाजिक बौद्धिकता, भावात्मक बौद्धिकता, आलोचनात्मक चिंतन, वर्णाक्षर परीक्षण, आंकड़ा पर्याप्तता, अनुपस्थित स्वरूप विवेचन

6. संख्यात्मक अभिज्ञान :

संख्या व उनका वर्गीकरण, संख्याओं की विभाज्यता का परीक्षण, विभाज्यता की सामान्य विशेषताएं, मुख्य संख्या का परीक्षण, विभाजन और शेषफल, शेषफल नियम, दो-लाईन संख्या श्रृंखला, प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ नियम

7. सांख्यिकीय विश्लेषण

आंकड़ों का चार्ट, ग्राफ, तालिका के माध्यम से प्रस्तुतीकरण, आंकड़ों की पर्याप्तता।

यूनिट –2

प्रश्नों की संख्या : 20

पूर्णांक : 30 अंक

(यूनिट –2 में बिन्दु –08 में कुल 07 प्रश्न एवं बिन्दु 09 में कुल 13 प्रश्न)

8- अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल

(A) There shall be a long passage in English for comprehension, followed by three objective-type questions, with multiple choices, of 1.5 mark each. These questions will test the candidate's ability to comprehend the ideas contained in the passage as well as his/her knowledge of English language/grammar.

(B) The four questions (1.5 mark each) based on language/grammar may cover the following areas :

- (i) Vocabulary
- (ii) Antonyms
- (iii) Synonyms
- (iv) One-word substitution
- (v) Phrases/phrasal verbs
- (vi) Transformation of sentences

9- हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल-

(अ) हिन्दी -भाषा में बोधगम्यता कौशल हेतु दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश या अवतरण से, प्रतिपाद्य (विषय-वस्तु), भाषा और व्याकरण पर आधारित, 06 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न डेढ़ अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर A, B, C, D होंगे, जिनमें केवल एक उत्तर ही सही होगा।

(ब) 07 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (प्रत्येक डेढ़ अंक) अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द-विवेक (तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ), उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास और क्रियारूप आदि पर आधारित होने चाहिए।

Uttarakhand State Combined Civil/Upper Sub-ordinate Preliminary Exam Syllabus

General Aptitude Test (Objective Test)

Paper -2, Number of questions -100 (Each Question carrying 1.5 Mark)

Time Allowed: 02 Hours

MM : 150

Unit – 1 Number of questions 80

MM : 120

1 – Aptitude – Statement/propositions true and false statement (syllogism) Analogies, Similarities and differences, Observation.

2 - Communication and Inter personal Skills, Word building, Coding decoding, Numerical Operations.

3 – Logical and Analytical ability

Logic : Statements- Arguments, Statement- Assumptions, Statement- Courses of Action, Statement – Conclusions, Deriving Conclusions from passages, Theme Detection, Question- Statements, Ven Diagram, Arithmetic number series, Arithmetical reasoning and Figural Classification, Relationship concepts.

4 - Decision – making and problem solving, Decision-making, Visual memory, Discrimination, assertion and Reason.

5 - General mental Ability: direction sense Test, Social Intelligence, Emotional Intelligence, Critical thinking, Puzzle Test, Alphabet test, Data sufficiency, Inserting the missing Character.

6 -Numerical identification-Number & their classification, test of divisibility of number, general properties of divisibility, test of prime number, division and remainder, remainder rules, two-line number series, sum rules on natural numbers.

7- Statistics Analysis-Presentation of Data through chart, graph, Tables, आंकड़ों की सार्थकता (sufficiency of data)

Number of questions 20

MM : 30

(Unit-2 -Para -08- Total number of questions -07, Para-09- Total number of questions -13)

8— अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल

(A) There shall be a long passage in English for comprehension, followed by three objective-type questions, with multiple choices, of 1.5 mark each. These questions will test the candidate's ability to comprehend the ideas contained in the passage as well as his/her knowledge of English language/grammar.

(B) The four questions (1.5 mark each) based on language/grammar may cover the following areas:

- (i) Vocabulary
- (ii) Antonyms
- (iii) Synonyms
- (iv) One-word substitution
- (v) Phrases/phrasal verbs
- (vi) Transformation of sentences

9— हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल—

(अ) हिन्दी –भाषा में बोधगम्यता कौशल हेतु दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश या अवतरण से, प्रतिपाद्य (विषयवस्तु), भाषा और व्याकरण पर आधारित, 06 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न डेढ़ अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर A, B, C, D होंगे। जिनमें केवल एक उत्तर ही सही होगा।

(ब) 07 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (प्रत्येक डेढ़ अंक) अपठित गद्यांश के कथ्य, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द— विवेक (तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ), उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास और क्रियारूप आदि पर आधारित होने चाहिए।

सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम
परिशिष्ट
मुख्य परीक्षा योजना

क्र०सं०	विषय	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	प्रथम प्रश्नपत्र भाषा	300	03 घण्टे
2	द्वितीय प्रश्नपत्र भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति	200	03 घण्टे
3	तृतीय प्रश्नपत्र भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध	200	03 घण्टे
4	चतुर्थ प्रश्नपत्र भारत एवं विश्व का भूगोल	200	03 घण्टे
5	पंचम प्रश्नपत्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास	200	03 घण्टे
6	षष्ठम प्रश्नपत्र सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	200	03 घण्टे
7	सप्तम प्रश्नपत्र सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र	200	03 घण्टे
8	साक्षात्कार	200	
कुल अंक		1700	

नोट— भाषा प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES
MAIN EXAMINATION SYLLABUS

APPENDIX

Main Examination Planning

S.N.	Subject	Max. Marks	Time Duration
1	First Paper Language	300	03 Hours
2	Second Paper History of India, National Movement, Society and Culture	200	03 Hours
3	Third Paper Indian Polity, Social Justice and International Relation	200	03 Hours
4	Fourth Paper India and World Geography	200	03 Hours
5	Fifth Paper Economic and Social Development	200	03 Hours
6	Six Paper General Science and Technology	200	03 Hours
7	Seven Paper General Aptitude and Ethics	200	03 Hours
8	Interview	200	
Total Marks		1700	

Note- It is essential to obtain minimum 35 % marks in Language Paper.

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम
प्रथम प्रश्न पत्र (भाषा)

समयावधि – 03 घण्टे

पूर्णांक – 300

सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी एवं निबन्ध लेखन

मुख्य परीक्षा

सामान्य हिन्दी 150 अंक

राजभाषा परिनियमावली (संक्षिप्त परिचय)

– 10 अंक

शब्द रचना

– 25 अंक

(i) उपसर्ग एवं प्रत्यय

(ii) संधि एवं समास

(iii) वचन एवं लिंग

(iv) व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया-विशेषण, अव्यय (परिभाषा एवं भेद)

(v) वाच्य परिवर्तन (कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य/भाववाच्य)

शब्दविवेक

– 25 अंक

(i) शब्दभेद – क.तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर

ख. रूढ यौगिक और योगरूढ

ग.– पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक, पारिभाषिक, शब्दयुग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द, संक्षिप्ताक्षर

(ii) शब्द शुद्धि

वाक्य रचना

– 10 अंक

(i) रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन (सरल, मिश्र एवं संयुक्त)

(ii) व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन (प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक, नकारात्मक)

(iii) विरामचिह्न

(iv) वाक्यशुद्धि

(v) स्लोगन लेखन

भाषा का मानकीकरण

– 10 अंक

(i) वर्तनी का मानकीकरण

(ii) व्याकरण का मानकीकरण

(iii) लिपि का मानकीकरण

(iv) उच्चारण का मानकीकरण

लोकोक्ति एवं मुहावरे

– 10 अंक

अपठित गद्यांश (हिन्दी)

– 15 अंक (2+5+8)

(i) शीर्षकीकरण

(ii) भावार्थ

(iii) रेखांकित अंशों की व्याख्या

कार्यालयी पत्रों के प्रारूप –

– 20 अंक

शासकीय पत्र, अर्द्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालयादेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, विज्ञप्ति
टिप्पण/प्रारूपण/संक्षेपण

– 15 अंक (5+5+5)

हिन्दी भाषा का कम्प्यूटरीकरण शब्द संसाधन, डाटाप्रविष्टि, मुद्रण, इन्टरनेट

– 10 अंक

General English

– 20 Marks

(i) Comprehension

– (10 M)

(The passage for Comprehension should test the candidate's knowledge of English language as well as his/her understanding of the organization of the key concepts of the passage. Questions should focus both on the ideas contained in the passage and on language components, such as vocabulary, phrasal verbs, synonyms and antonyms etc.)

(ii) Translation from Hindi into English / English into Hindi -05 M

(iii) Common errors in English

-05M

निबन्ध लेखन (Essay Writing) –

130अंक

दिए गये दो खण्डों में खण्ड (क) में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 (पाँच सौ) शब्दों एवं खण्ड (ख) में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 700 (सात सौ) शब्दों में अभ्यर्थीगण द्वारा निबन्ध लिखा जायेगा।

खण्ड (क)

55अंक

1. उत्तराखण्ड की सामाजिक संरचना, इतिहास संस्कृति एवं कला (Social Structure, History, Culture and Art of Uttarakhand)।

2. उत्तराखण्ड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण (Economic and Geographical Scenario and Environment of Uttarakhand)।
3. उत्तराखण्ड का साहित्य (Literature of Uttarakhand)।
4. उत्तराखण्ड में महिला सशक्तीकरण : चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ (Women Empowerment in Uttarakhand: Challenges and Prospects)।

खण्ड (ख)

75अंक

1. भारतीय अर्थ एवं राज व्यवस्था (Indian Economy and Polity System)।
2. विज्ञान एवं तकनीकी (Science and Technology)।
3. आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन (Disaster and Public Health Management)।
4. समसामयिक घटनाचक्र (Current Events)।
5. विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत (Global Security, Human Rights and India)।

नोट:—भाषा के प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Note :It is essential to obtain a minimum of 35% marks in Language paper.

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम
द्वितीय प्रश्न पत्र

भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति

समय: 03 घण्टे

200 अंक

मुख्य परीक्षा

प्रागैतिहासिक काल— जातियां एवं संस्कृति

आद्यऐतिहासिक काल : पुरापाषाणकाल – आखेटक और खाद्य संग्रहक ; मध्यपाषाणयुग— खाद्य उत्पादक आदि।

ताम्रपाषाणयुग : कृषक संस्कृति, बस्तियां, ताम्रनिधियां एवं गैरिक मृदभाण्ड अवस्था ;**कांस्ययुगीन सभ्यताएं**— हड़प्पा संस्कृति, भौगोलिक विस्तार, नगर योजना, संरचनाएं एवं निकास व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, आदि।

वैदिक युग— ऋग्वैदिक युग – राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, उत्तरवैदिक युग—राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, महाकाव्य एवं धर्मशास्त्रों का युग, छठी शताब्दी ई०पू० में धार्मिक आन्दोलन— जैन एवं बौद्ध धर्म एवं अन्य पहलू।

महाजनपदों एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, पारसी एवं यूनानी आक्रमण : पर्शिया का आक्रमण ; सिकन्दर महान एवं उसकी विरासत।

मौर्य साम्राज्य : चन्द्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं उसका धम्म, मौर्य साम्राज्य का पतन ; मौर्यकाल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन आदि ।

मौर्योत्तर काल : शक, कुषाण, पहलव, वाकाटक एवं सातवाहन कालीन राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन तथा अन्य पहलू ।

गुप्त राजवंश— चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त, परवर्ती गुप्त शासक एवं गुप्त वंश का पतन; गुप्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, गुप्तोत्तर काल— हर्षवर्द्धन एवं उसका युग; पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव, चन्देल, परमार, गहडवाल, चौहान, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन आदि ।

भारत में इस्लाम का आगमन, अरबों का सिंध पर आक्रमण, तुर्कों का भारत पर आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना : कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया : प्रारंभिक तुर्की शासन का स्वरूप : बलबन—न्याय व्यवस्था और राजत्व का सिद्धान्त ।

खिलजी वंश : जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी; साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक, सैन्य एवं आर्थिक सुधार ।

तुगलक वंश : गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद-बिन-तुगलक—राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रयोग, फिरोजशाह तुगलक, मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव । दिल्ली सल्तनत का विघटन, प्रथम अफगान राज्य ; उत्तर भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय—जौनपुर के शर्की; कश्मीर का सुल्तान सिकन्दर और सुल्तान जैनुल आबिदीन; मालवा, बंगाल और गुजरात तथा अन्य राज्य ।

सामाजिक-धार्मिक आन्दोलन: सूफीवाद एवं भक्ति आन्दोलन ।

दक्षिण भारत: संगम युग, देवगिरि के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वारसमुद्र के होयसल, मदुरै के पाण्ड्य; चोल राजवंश, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, विजयनगर और बहमनी राज्य— राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन ।

मुगल साम्राज्य की स्थापना— बाबर, हुमायूँ, शेरशाह सूरी, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब; परवर्ती मुगल और मुगल साम्राज्य का पतन, बहादुर शाह जफर, मुगल प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, कला, संस्कृति और तकनीक ।

मराठा शक्ति का उत्कर्ष— शिवाजी और उनका प्रशासन, पेशवाओं का उत्कर्ष, मराठा और समाज, बुन्देले, सिख, जाट, सतनामी ।

यूरोपीय शक्तियों का आगमन और विस्तार – पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ।

आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध ।

उपनिवेशवाद का प्रारम्भ: ईस्ट इंडिया कम्पनी और बंगाल— नबाब सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध, मीर जाफर, मीरकासिम, बक्सर का युद्ध, द्वैध शासन प्रणाली, क्लाइव की दूसरी गवर्नरी ।

18वीं शताब्दी में समाज और अर्थव्यवस्था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढीकरण, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेटिंग, लॉर्ड एलेनबरो और सिन्ध का विलय—लॉर्ड आकलैण्ड और प्रथम अफगान युद्ध, अंग्रेज और भारतीय राज्य— मैसूर, पंजाब, अवध, हैदराबाद, मराठा : लार्ड डलहौजी ।

1757–1857 के मध्य ब्रिटिश सरकार का ढांचा एवं आर्थिक नीतियां; प्रशासनिक संगठन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियां ।

उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन : ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी इत्यादि ।

ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध : जनजातीय तथा असैनिक विद्रोह, लोकप्रिय आंदोलन तथा सैनिक विद्रोह (1757–1856), 1857 का विद्रोह; कारण, स्वरूप, घटनाक्रम, परिणाम एवं विफलता ।

1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन: अंग्रेजी शासन के आर्थिक प्रभाव, औद्योगिककरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन : भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—उद्गम, उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा, बंगाल का विभाजन (1905), स्वदेशी आंदोलन(1905), मुस्लिम लीग की स्थापना(1906), सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का प्रथम विभाजन (1907), मार्ले-मिण्टो सुधार अधिनियम (1909) ।

प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन : होमरूल आंदोलन, लखनऊ समझौता (1916), चम्पारन और खेड़ा सत्याग्रह (1917) : गांधी-युग, राष्ट्रीय आंदोलन (1919–1927); मांटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधार अधिनियम (1919), रौलेट अधिनियम (1919),

जलियाँवालाबाग नरसंहार, खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919–1922), चौरी चौरा काण्ड (1922), स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन (1927), भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारी आन्दोलन।

राष्ट्रीय आंदोलन (1927–1947) : साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929), प्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोल मेज सम्मेलन, गांधी-इर्विन समझौता, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल अवार्ड), तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, बी0आर0 अम्बेडकर एवं दलित आन्दोलन, राष्ट्रवादी राजनीति (1935–1939), भारत सरकार अधिनियम (1935), कांग्रेस मंत्रिमण्डल, समाजवादी, साम्यवादी पूंजीवादी विचाराधारा एवं उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव एवं विचारधारा का विकास, कृषक एवं कामगार आंदोलन : कांग्रेस और वैश्विक मामले। कांग्रेस मंत्रिमण्डलों का त्यागपत्र, सुभाष चन्द्र बोस एवं आजाद हिन्द फौज (आई0एन0ए0)।

साम्प्रदायिकता का विकास तथा पाकिस्तान की माँग।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन: अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, सी0आर0 दास फार्मूला, गांधी- जिन्ना वार्ता, भूला भाई देसाई-लियाकत अली समझौता, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, प्रांतीय एवं आम चुनाव, कैबिनेट मिशन योजना, आजाद हिन्द फौज, सीधी कार्यवाही दिवस, अन्तरिम सरकार, माउंटबैटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) :

साम्प्रदायिक दंगे एवं भारत का विभाजन।

स्वतन्त्रयोत्तर भारत: संविधान सभा और संविधान का निर्माण, आजादी के बाद का भारत, भारत की विदेश नीति- पंचशील, निर्गुट आन्दोलन, सार्क, पंचवर्षीय योजनायें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति, जे0पी0(जय प्रकाश नारायण) का आन्दोलन, आपातकाल, मिली-जुली सरकारों का युग, आन्तरिक विद्रोह।

वैदेशिक नीति :पंचशील, भारत-चीन एवं भारत-पाकिस्तान युद्ध, निर्गुट आन्दोलन, सार्क (साउथ एशियन एसोसियेशन फॉर रीजनल कॉऑपरेशन)।

उत्तराखण्ड का इतिहास एवं संस्कृति : प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखण्ड की प्राचीन जनजातियाँ, कुणिन्द एवं यौद्धेय, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश- शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कुमाऊँ का चंद राजवंश- शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, गोरखा आक्रमण एवं उत्तराखण्ड में शासन, उत्तराखण्ड में धर्म एवं संस्कृति।

उत्तराखण्ड में ब्रिटिश शासन : प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, एवं चिकित्सा व्यवस्था, उत्तराखण्ड में देशी भाषा की पत्रकारिता का विकास, टिहरी रियासत-शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं संस्कृति, उत्तराखण्ड और राष्ट्रीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड के प्रमुख स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता एवं टिहरी रियासत का विलय।

उत्तराखण्ड के जन आन्दोलन : कुली बेगार, टिहरी राज्य में रियासत विरोधी आन्दोलन, डोला-पालकी आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, नशा विरोधी आन्दोलन, उत्तराखण्ड के संत एवं सामाजिक सुधारक, पृथक उत्तराखण्ड राज्य हेतु आन्दोलन एवं उसके तात्कालिक एवं दूरगामी परिणाम, उत्तराखण्ड के धार्मिक स्थल एवं मंदिर; उत्तराखण्ड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उत्तराखण्ड के प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेले, त्योहार एवं यात्रायें, सांस्कृतिक महत्व के स्थल, उत्तराखण्ड के प्रमुख गीत एवं नृत्य, वाद्ययंत्र, चित्रकला, वेशभूषा, एवं खान-पान, बोलियाँ, उत्तराखण्ड के प्रमुख लोकगायक, रंगकर्मी, उत्तराखण्ड के शिल्प, उद्योग एवं वाणिज्य, उत्तराखण्ड में शिक्षा का विकास।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES MAIN EXAMINATION SYLLABUS

Second Paper

History of India, National Movement, Society and Culture

Time Allowed: 03 Hours

MM: 200

Indian History, Culture and National Movement Main Examination

Pre- historic period :- Races and culture.

Proto-historic period :- Early Stone Age- Hunters and Gatherers; Mesolithic Period- Food producers.

Copper Age :- Farming Culture, Settlements, Copper hoards, Ochre Coloured Pottery. Bronze Age Civilization- Harappan Civilization-Geographical Expansion, Town Planning ,Construction and Drainage system. Political System, Social, Economic and Religious life etc.

Vedic Civilization:- Rigvedic Age- Political, Social, Economic and Religious life, Later Vedic Period- Political, Social, Economic Religious and Cultural life, Age of Epic and Dharma Shastras; Religious Movements in 6th century B.C: Jainism, Buddhism and other sects.

Mahajanapadas and rise of Magadhan Empire, Persian and Greek invasion: Persian invasion; Alexander, the Great and his legacy.

Mauryan Empire :- Chandragupta Maurya, Bindusara, Ashoka and his Dhamma; Decline of Mauryan Empire; Political, Social, Economic, and Cultural life etc. in Mauryan period.

Post Mauryan period- Political, Social, Economic, Religious and Cultural life during Saka, Kushana, Pahlava, Vakataka and Satavahana, Rule.

Gupta Dynasty :- Chandragupta I, Samudragupta, Chandragupta II, Skandagupta; Later Gupta rulers and decline of Gupta Dynasty; Political, Social, Economic Religious and Cultural life during Gupta period, Post-Gupta Period: Harshvardhan and his times; Pal, Pratihara, Rashtrakuta, Chola, Chalukya, Pallava Chandel, Paramar, Gaharwad, Chauhan, Post-Gupta Period: Political, Social, Economic Religious and Cultural life.

Advent of Islam in India, Arab invasion of Sindh, Turk invasion of India, Establishment of Delhi Sultanate :- Qutubuddin Aibak, Iltutmish, Razia: Nature of early Turkish rule; Balban: theory of Kingship and Judicial System.

Khalji dynasty : Jalaluddin Khalji, Alauddin Khalji-Expansion of Sultanate, Administration, reforms, Military reforms, Economic Reforms.

Tughlaq Dynasty : Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad-bin-Tughlaq- Political and administrative experiments, Feroze Shah Tughlaq; Mongol invasion and its impact. Disintegration of Delhi Sultanate, First Afghan Empire, Rise of independent Muslim states in northern India- Sharqis of Jaunpur ; Kashmir – Sultan Sikander and Sultan Zainnul Abidin, States of Malwa, Bengal, Gujarat and other States.

Socio- religious movements : Sufism and Bhakti movements.

Southern India : Sangam Age, Yadavas of Deogiri, Kakatiyas of Warangal, Hoysals of Dwarsamudra and Pandyas of Madurai. Chola dynasty. Political, Social, Economic, Religious and Cultural life.

Vijayanagar and Bahmani Empire-Political Social, Economic, Religions and Cultural life, Political, Social, Economical and Cultural life of Delhi Sultanate.

Establishment of Mughal Empire :- Babar, Humayun, Shershah Suri, Akbar, Jahangir Shahjahan, Aurangzeb. Later Mughals and fall of Mughal Empire, Bahadur Shah Zafar Mughal administration ; Social, Economic Religious life; Art and Culture.

Rise of Maratha power :- Shivaji and his administration, Rise of Peshwas : Bundelas, Sikhs, Jats and Satnamis.

Advent and expansion of European powers in India :- Portuguese, Dutch, French and British.

Anglo French rivalry and Carnatic Wars.

Colonization : East India Company and Bengal, Nawab- Sirajuddaula, Battle of Plassey, Mir Jafar, Mir Quasim, Battle of Buxar, Dual Government in Bengal, Second Governorship of Lord Clive.

Society and Economy during 18th Century : Expansion and Consolidation of British Power in India-Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord Wellesley, Lord Hastings, Lord William Bentinck, Lord Ellenborough and annexation of Sindh, Lord Auckland and First Afghan war.

Indian States and the British - Mysore, Punjab, Avadh, Hyderabad and Maratha : Lord Dalhousie.

Structure of Government and economic policies of British Empire in India (1757-1857) : Administrative organization, Social and Cultural policies.

Socio-religious reform movements in the 19th century : Brahmo Samaj, Arya Samaj, Theosophical Society etc.

Opposition to British rule :- Tribal and non - military revolts, popular movements and military revolts between 1757 and 1856. Revolt of 1857 - causes, nature, expansion, consequences and failure.

Administrative changes after 1858, Economic Impact of British rule. Impact of Industrialization on Indian economy.

Indian National Movement :-Growth of Indian Nationalism: Rise of Nationalism in India, Predecessors of Indian National Congress. Indian National Congress-origin. Moderates and Extremists in the Congress; Partition of Bengal (1905), Swadeshi Movement (1905), Establishment of Muslim league (1906) ; Surat Session and first split in the Congress (1907) Morley –Minto reforms (1909).

First world war and National movement :- Home Rule movement Lucknow Pact (1916), Champaran, Kheda Satyagraha (1917). Gandhian era: National Movement (1919-1927) Montague Chelmsford Reforms (1919), Rowlatt Act (1919), Jallianwalabagh Massacre, Khilafat and Non Cooperation Movements (1919-1922), Chauri-Chaura episode (1922). Swaraj Party and Simon Commission (1927).

Revolutionary movements in India and abroad.

National Movement (1927-1947) :- Boycott of Simon Commission, Nehru Report, Lahore Session of Congress (1929), Press and National Movement. Poorna Swaraj, Civil Disobedience Movement. First Round Table conference, Gandhi – Irwin Pact, Second Round Table Conference; Second Phase of Civil Disobedience Movement, Communal Award, Third Round Table Conference, Poona Pact, B. R. Ambedkar and Dalit reform movements.

Nationalist Politics (1935-39) :- Government of India Act 1935, Congress ministries, Growth of Socialist, Communist, Capitalist ideas, their forms and effect on the society. Peasant and workers movements.

Congress and World affairs, Resignation of Congress Ministries, Subhash Chandra bosh and Azad Hind Fauj (I.N.A.), Growth of communalism and demand for Pakistan.

National Movement during Second World War :- August Resolution, Individual Civil Dis-obedience Movement, Cripps Mission, Quit India Movement, C.R. Das Formula, Gandhi-Jinnah Talk, Bhoola Bhai Desai - Liyaquat Ali Pact, Wavell Plan and Simla Conference, Provincial and General elections, Cabinet Mission Plan, Indian National Army, Direct Action Day, Interim Government, Mountbatten Plan, Indian Independence Act 1947. Communal riots and Partition of India.

India after Independence :- Constituent Assembly and drafting of Indian Constitution. Five-Year Plans, Nationalisation of Banks, Abolition of Privy Purses, J.P. (Jai Prakash Narayan) Movement, Emergency, Era of Coalition Governments, Internal insurgency.

Foreign Policy :- Panchsheel, War between Indo-China and Indo-Pak, Non Aligned movement, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

History and Culture of Uttarakhand

Prehistoric period, Proto-historic period, Ancient tribes of Uttarakhand, Kunindas and Yaudheyas, Katyuri dynasty, Parmar dynasty in Garhwal- Rule, Administration, Society, Economy, Chand dynasty of Kumaon- Rule, Administration, Society, Economy, Gorkha invasion and rule in Uttarakhand, Religion and Culture in Uttarakhand.

British Rule in Uttarakhand :- Administrative System, Social reforms, Economy, Education and Health, Growth of Vernacular Press in Uttarakhand, Tehri Estate- Rule, Administration, Society, Economy, Religion and Culture, Uttarakhand and National Movement, Prominent Freedom Fighters of Uttarakhand, Independence and merger of the state of Tehri.

Popular Movements of Uttarakhand :- Coolie- Begar Movement, unrest against Tehri State, Dola Palki Movement, Chipko Movement, Anti-Liquor Movement, Saints and Social Reformers of Uttarakhand, Movement for separate State of Uttarakhand : Its immediate and far reaching consequences, Religious places and temples of Uttarakhand, important archaeological sites of Uttarakhand, Uttarakhand's major social, cultural and religious, Fairs, Festivals and tours, Sites of cultural significance, major songs and dances of Uttarakhand, musical instruments, paintings, costumes and food habits, dialects, Prominent folk singers and theatre artists of Uttarakhand, craft, industry and trade of Uttarakhand, Growth of Education in Uttarakhand.

सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम

तृतीय प्रश्न पत्र

भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

समय: 03 घण्टे

200 अंक

मुख्य परीक्षा

भारतीय राजनीति का संवैधानिक ढांचा

भारत में संवैधानिक विकास ।

भारतीय संविधान का निर्माण ।

उद्देशिका और उसका महत्व ।

भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं

मौलिक अधिकार और कर्तव्य ।

राज्य के नीति—निदेशक तत्व।

संघीय ढांचा : संघ —राज्य संबंध।

भारत में संसदीय प्रणाली।

संवैधानिक निकाय : भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ/राज्य लोक सेवा आयोग व अन्य (नियुक्ति, शक्तियां और उत्तरदायित्व)।

न्यायपालिका : गठन, भूमिका, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता।

संविधान संशोधन पद्धति और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन।

भारतीय राजनीति

संघीय कार्यपालिका।

राज्य कार्य पालिका।

संसद और राज्य विधान मण्डल।

भारत में चुनाव प्रणाली, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।

राजनीतिक दल और दबाव समूह।

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका।

लोक जबाबदेही : संसद, कार्य पालिका और न्याय पालिका।

नागरिक और प्रशासन : नागरिकों की शिकायतों के निवारण के संस्थान और तंत्र, नागरिक मंच, केन्द्रीय सर्तकता आयोग और लोकपाल तथा लोकायुक्त।

प्रेस (समाचार पत्र और इलैक्ट्रॉनिक माध्यम) : नीति निर्माण पर प्रभाव, जनमत निर्माण और लोक शिक्षा तथा भारतीय प्रेस परिषद।

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था

भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और प्रगति।

संघ सरकार : मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय।

नये राज्यों के गठन की मांग।

राज्य सरकार : राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, विभाग और निदेशालय, बोर्ड , निगम और आयोग।

भारत में संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों तथा क्षेत्रों का प्रशासन।

भारत में सिविल सेवायें: प्रकार, विशेषताएं, भूमिका और कार्य निष्पादन।

जिला प्रशासन।

प्रशासनिक अधिनिर्णय : भारत में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकरण।

लोक अदालत और विधि संबंधी जागरूकता अभियान।

भारत में प्रशासनिक सुधार जिनसे विभिन्न आयोग और समितियां शामिल हैं।

पंचायती राज

विकास प्रशासन : संस्थाएं, नीति—प्रवर्तन व युक्ति, समस्याएं और चुनौतियां।

स्थानीय शासन : 73वां और 74वां संविधान संशोधन।

भारत में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप।

शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पोषण के साधन।

राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग।

विकेन्द्रीयकृत आयोजना।

भारत में लोक प्रबन्धन

निम्नलिखित के संदर्भ में लोक प्रबंधन

विनियामक शासन।

नियम और कानून प्रशासन।

सिटिज़न सेंट्रिक गवर्नेंस (नागरिक केन्द्रित शासन)।

ई-गवर्नेंस।

सेवा का अधिकार।

सूचना का अधिकार।

समाधान योजना।

बजटीय सुधार।

उपभोक्ता संरक्षण।

प्रशासन में सत्यनिष्ठा जिसमें भारत में भ्रष्टाचार के निवारण एवं कदाचारों की रोकथाम के उपाय शामिल हैं।

मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास

रोजगार एवं विकास

मानव संसाधन प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास तथा भारत में इसके संकेतक।

भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति एवं प्रकार।

केन्द्र सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की योजनायें।

ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास की योजनायें— केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं सहित सम्बन्धित संस्थाओं एवं संगठनों की भूमिका।

शिक्षा

मानव संसाधन के विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका।

भारत में शिक्षा की पद्धति : समस्यायें एवं मुद्दे (सार्वभौमिकरण एवं व्यावसायिकरण सहित)

महिलाओं तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिये शिक्षा।

शिक्षा का अधिकार : उत्तराखण्ड में सर्वशिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।

उत्तराखण्ड में उच्च, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति।

शिक्षा के उन्नयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका (केन्द्र, राज्य तथा अन्य संगठनों सहित)

स्वास्थ्य

मानव संसाधन के विकास के एक संघटक के रूप में स्वास्थ्य।

भारत तथा उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली।

स्वास्थ्य संकेतक।

विश्व स्वास्थ्य संगठन : उद्देश्य संरक्षण, कार्य एवं कार्यक्रम।

स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा अन्य सम्बन्धित योजनायें।

स्वास्थ्य एवं पोषण।

खाद्य: सुरक्षा अधिनियम इत्यादि।

सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक विधायन

परिवर्तन के तत्व के रूप में सामाजिक विधायन।

समाज के असुरक्षित वर्गों के लिये सामाजिक विधायन एवं योजनाएं: केन्द्र एवं राज्य।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम— 1955 ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोध अधिनियम –1989) ।

महिला एवं पारिवारिक हिंसा (रोकथाम अधिनियम—2005)

बच्चों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों आदि के संरक्षण एवं कल्याण हेतु सामाजिक विधायन ।

महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोषण निवारण के उपाय ।

अशक्त, वृद्ध एवं अन्य के कल्याण के लिये अधिनियम, नीतियां, संस्थाएँ एवं योजनाएँ ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्त एवं आधार ।

भारत एवं उसके पड़ोसी देश ।

वैश्वीकरण एवं विकासशील देशों पर इसका प्रभाव ।

अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन : संयुक्त राष्ट्र एवं उसके विशिष्ट अभिकरण ।

क्षेत्रीय संगठन— दक्षेस, आसियान, यूरोपीय संघ, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, ओपेक एवं राष्ट्रमण्डल आदि ।

भारतीय सांस्कृतिक कूटनीति एवं प्रवासी भारतीय ।

उत्तराखण्ड राज्य: राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक संदर्भ

उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि ।

राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्कृति ।

राजनीतिक व्यवस्था, दलीय राजनीति, गठबंधन सरकारों की राजनीति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और कार्य तथा दबाव समूह ।

प्रशासनिक प्रणाली: राज्य सरकार की संरचना, मंत्रिमण्डल और विभाग, प्रशासनिक अभिकरण तथा जिला एवं तहसील स्तरीय प्रशासन ।

राज्य लोक सेवा ।

राज्य लोक सेवा आयोग ।

लोक आयुक्त, राज्य सर्तकता अभिकरण ।

उत्तराखण्ड में पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन ।

उत्तराखण्ड की समाज कल्याण योजनाएं ।

समसामयिक घटनाएं—राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं ।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES MAIN EXAMINATION SYLLABUS

Third Questions Paper

Indian Polity, Social Justice and International Relation

Time Allowed : 03 Hours

MM: 200

Main Examination

Constitutional Framework of Indian Polity

Constitutional Development in India.

Framing of Indian Constitution.

Preamble and its significance.

Salient Features of Indian Constitution.

Fundamental Rights and Duties.

Directive Principles of State Policy.

Federal Structure: Union-State relations.

Parliamentary system in India.

Constitutional Bodies: Election Commission of India, Finance Commission; Comptroller and Auditor General of India; Union/State Public Service Commission and Other (Appointment, Power and Responsibilities).

Judiciary : Composition, Role, Judicial Review and Judicial Activism.

Constitutional Amendment methods and important constitutional amendments.

Indian Polity

Union Executive.

State Executive.

Union Parliament and State Legislatures.

Electoral system in India, Salient Features of the Representation of the People Act.

Political Parties and Pressure Groups.

Role of Regional Political Parties.

Public Accountability : Parliamentary, Executive and Judicial.

Citizens and Administration : Citizens Grievance Redressal Institution and Mechanism, Central Vigilance Commission, and Lok Pal and Lok Ayuktas .

Print and Electronic Media- Its impact on Policy Making, Shaping of public opinion and in educating the people and Press Council of India.

Administrative system in India

Evolution and Growth of Administrative system in India.

Union Government: Cabinet Secretariat; Central Secretariat; PMO etc.

Demand for creation of New States.

State Government : State Secretariat; Chief Secretary; Departments and Directorates, Boards, Corporations and Commissions.

Administration of Union Territories and other specified states and areas in India.

Civil Services in India : Types; Characteristics; Role and Performance.

District Administration.

Administrative Adjudication: Various types of Administrative Tribunals in India.

Lok Adalats and Legal Awareness Campaign.

Administrative Reforms in India including various important Commissions and committees.

Panchayati Raj

Development Administration: Institutions; Policy Initiatives, Strategies, Problems and Challenges.

Local Governance: 73rd and 74th Constitutional Amendments.

Types of Urban local bodies and Panchayati Raj institutions in India.

Sources of Finance in Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.

State Finance Commission and State Election Commission.

Decentralized planning.

Public Management in India

Regulatory Governance.

Law and Rule related Administration.

Citizen centric Governance.

E-Governance.

Right to Services.

Right to Information.

Samadhan Yojana.

Budgetary reforms

Consumer Protection.

Integrity in Administration including measures and mechanism for Prevention of Corruption and Malpractices in India.

Human Resource and Community Development

Employment and Development

Human Resource Management and Human Resource Development and its indicators in India.

Nature, types and Problems of Unemployment in India.

Employment Schemes and Programmes both of Union Government and Uttarakhand Government.

Rural Development and Community Development Programmes- Role of related Institutions and Organizations including all centrally and State sponsored schemes.

Education

Role of Education especially in Human Resource Development and Social Change.

Education System in India : Problems and Issues (Including Universalization and Vocationalization).

Education for Girls, other Socially and Economically and other disadvantaged sections of people and Minorities, etc.

Right to Education, Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan in Uttarakhand.

Status of Higher, Technical and Vocational Education in Uttarakhand.

Role of Various institutions (central, State and Other Organizations) in promotion of Education.

Health

Health as a component of Human Resource Development.

Health Care System in India and Uttarakhand.

Health Indicators.

World Health Organisation : Objectives, Structure, Functions and its Programmes.

Public Private Partnership in Health Care System.

National Rural Health Mission and other related schemes.

Health and Nutrition.

Food Security Act etc.

Social Welfare and Social Legislation

Social Legislation as an element of change.

Social Legislation and schemes (Central and State) for vulnerable section of society.

Protection of civil Rights Act, 1955.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

Protection of Women from Domestic Violence Act 2005.

Social Legislations for the protection and welfare of Children, Women and Minorities, etc.

Sexual Violence against Women and Children: Preventive Measures.

Welfare of Disabled, Aged and Others: Enactments, Policies, Institutions and Schemes.

International relation

Principles & Basis of Indian Foreign Policy.

India and her neighbours.

Globalization and its impact on Developing countries.

International and Regional Organisations:

United Nations and its specialized agencies.

Regional organizations-SAARC, ASEAN, EU, NAM, OPEC, Commonwealth of Nations etc.

India's Cultural diplomacy and Indian Diaspora.

Uttarakhand State : Political, Social and Administrative Context

Historical, Political and Social background of Uttarakhand.

Political and Administrative Culture in the State .

Political system : Party Politics, Coalition Politics, Role and Functions of Regional Political Parties and Pressure groups.

Administrative System : Structure of the State Government ; Ministries and Departments; Administrative agencies and District and sub district level Administration.

State Civil Services.

State Public Service Commission.

Lok Ayukta and State Vigilance agencies.

Panchayati Raj and Urban Administration in Uttarakhand.

social Welfare schemes of Uttarakhand.

Current Events

Current events of State level, National and International Importance.

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम चतुर्थ प्रश्न पत्र भारत एवं विश्व का भूगोल

समय : 03 घण्टे

पूर्णांक :

200

मुख्य परीक्षा

विश्व का भूगोल :

भूगोल की परिभाषा एवं प्रमुख संकल्पनाएं, सौरमण्डल, गोलाभीय निर्देशांक एवं प्रक्षेप, समय, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं परिक्रमण, चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं सम-ताप रेखायें, आदि।

स्थलमण्डल : महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति – महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवाहनिक धारा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें एवं चट्टानों के प्रकार, अपवाह प्रतिरूप, अनाच्छादन के कारक—नदी, वायु, हिमनद, आदि।

वायुमण्डल : वायुमण्डल का संघटन एवं संरचना, सौर्यताप, उष्मा—बजट, आर्द्रता एवं वर्षण, वायुदाब एवं वायुपेटियां आदि।

जलमण्डल : महासागर – महासागरीय नितल के उच्चावच, धारायें, ज्वार—भाटा, तापमान एवं लवणता, जल—चक्र आदि।

भौगोलिक घटनाएं : भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, मानसून, अलनिनो प्रभाव एवं चक्रवात, प्राकृतिक संकट एवं आपदायें आदि।

प्राकृतिक संसाधनों का वितरण : प्राकृतिक संसाधनों का विश्व वितरण— वन, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, खनिज—तेल, जल—विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत आदि।

कृषि : कृषि अवस्थितिकी, कृषि प्रकार, कृषि प्रदेश आदि।

उद्योग : उद्योगों के स्थानीकरण के कारक, वस्त्र, लौह—इस्पात, सीमेंट, चीनी उद्योग आदि।

जनसंख्या : वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवासन, स्वास्थ्य, नगरीकरण आदि।

प्रमुख जनजातियां : एस्किमो, पिग्मी, वुशमैन, किरगीज आदि।

परिवहन : ट्रांस साइबेरियन, कैनैडियन नेशनल, कैनैडियन पैसिफिक रेलमार्ग, केप ऑफ गुड होप जल मार्ग आदि।

पर्यावरण : पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, जैव विविधता-प्रकार एवं ह्यस, प्रदूषण-वायु, जल, वैश्विक उष्मन, ओजोन क्षरण, सतत् विकास की अवधारणा आदि।

विश्वव्यापार : व्यापार एवं आर्थिक समूह-विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी), ब्राजील - रूस - भारत - चीन - दक्षिण अफ्रीका (बीआरआईसीएस), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) आदि।

भारत का भूगोल : स्थिति, विस्तार एवं संघीय ढाँचा, भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, जलवायु, अपवाह प्रणाली, वनस्पति, मृदा, जल संसाधन, संसाधन अल्पता एवं उर्जा संकट आदि।

पर्यावरणीय अवनयन एवं संरक्षण : वायु, जल, मृदा आदि।

खनिज : लौह-अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम आदि का वितरण एवं उत्पादन आदि।

कृषि : गेहूँ, चावल, चाय, मिलेट्स, कॉफी एवं रबर, कृषि-जलवायु प्रदेश, कृषि क्रान्तियाँ आदि।

उद्योग : सूती वस्त्र, सीमेन्ट, कागज, चीनी एवं रसायन आदि उद्योगों का स्थानीकरण, उत्पादन एवं व्यापार आदि।

जनसंख्या : वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता, लिंग-अनुपात, ग्रामीण-नगर संरचना आदि के प्रादेशिक प्रतिरूप आदि।

परिवहन : रेलमार्ग, सड़क मार्ग, वायुमार्ग एवं जल मार्गों की प्रादेशिक विकास में भूमिका आदि।

जनजातियाँ : गोण्ड, भील, सन्थाल, नागा आदि जनजातियों का निवास्य, आर्थिकी एवं समाज तथा रूपान्तरण की प्रवृत्तियाँ।

उत्तराखण्ड का भूगोल : स्थिति, विस्तार एवं सामरिक महत्व, संरचना एवं उच्चावच, जलवायुविक विशेषताएँ, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज एवं उत्खनन, मृदा आदि।

कृषि एवं सिंचाई, औद्योगिकी, पशुपालन, कृषि उत्पादों का भण्डारण एवं विपणन।

पर्यटन-समस्याएँ एवं सम्भावनाएँ।

जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवासन, स्वास्थ्य, नगरीकरण एवं नगर केन्द्र, अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ (भोटिया, थारू, जौनसारी, बॉक्सा एवं वनराजि इत्यादि), परिवहन मार्ग, औद्योगिक विकास एवं प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाएँ।

पर्यावरण एवं वन आंदोलन : वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, प्राकृतिक संकट एवं आपदा प्रबंधन, चिपको एवं मैती आंदोलन आदि।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES MAIN EXAMINATION SYLLABUS

Fourth Questions Paper

India and World Geography

Time Allowed : 03 Hours

MM: 200

Main Examination

World Geography : Definition and Major concepts of Geography, Solar System, Spherical Coordinates & Projections, Time, Earth's Rotation and Revolution, Lunar eclipse, Solar eclipse, Isothermic Lines, etc.

Lithosphere : Origin of Continents & Oceans- Continental Drift theory, Convectional Current theory and Plate Tectonic theory, Types of Mountains, Plateaus, Plains, Lakes and Rocks, Drainage Pattern, Agents of Denudation- River, Wind, Glacier, etc.

Atmosphere : Composition and Structure, Insolation, Heat- budget, Humidity and Precipitation, Pressure and Wind Belts, etc.

Hydrosphere : Oceans – Bottom Relief, Currents, Tides, Temperature and Salinity, Hydrological Cycle, etc.

Geographical Phenomena : Earthquakes, Tsunami, Volcanic activity, Monsoon, El-Nino effect and cyclones, Natural Hazards and Disasters, etc.

Distribution of natural resources : World Distribution of natural resources – Forests, Iron ore, Bauxite, Coal, Petroleum, Hydel Power, Atomic Power Non-Conventional Energy Sources, etc.

Agriculture : Agricultural Location, Agricultural Types, Agricultural Regions, etc.

Industries : Factors of Localization, Textile, Iron and Steel, Cement, Sugar Industries, etc.

Population : Growth, Distribution, Density, Sex-Ratio, Migration, Health, Urbanization, etc.

Main Tribes : Eskimo, Pigmy, Bushmen, Kirgiz, etc.

Transportation : Trans-Siberian railway, Canadian National, Canadian pacific, Cape of Good Hope water way, etc.

Environment : Concept of Ecology and Ecosystem, Bio-diversity – Types and Depletion, Pollution – Air and Water, Global Warming and Ozone Depletion, Concept of Sustainable Development, etc.

World Trade : Trade and Economic Groups – World Trade Organization (WTO), European Economic Community (EEC), Brazil – Russia – India – China - South Africa (BRICS), South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC), etc.

Geography of India: Location, Extent and Federal Structure, Geological structure, Relief, Climate, Drainage system, Vegetation, Soils, Water Resource, Resource Scarcity, Energy Crisis , etc.

Environmental Degradation and Conservation : Air, Water, Soil, etc.

Minerals : Distribution and Production of Iron-ore, Coal, Petroleum etc.

Agriculture : Wheat, Rice, Millet, Tea, Coffee and Rubber, Agro-Climatic Regions, Agricultural Revolutions, etc.

Industry : Location, Production and Trade of Cotton Textile, Cement, Paper, Sugar, Chemical, etc.

Population : Regional Pattern of Growth, Distribution, Density, Literacy, Sex-ratio, Rural-urban structure, etc.

Transport : Railways, Highways, Airways and Water ways and their role in regional development, etc.

Tribes : Habitat, Economy and Society of Gonds, Bhils, Santhals, Nagas, etc and Trends of their Transformation.

Geography of Uttarakhand : Location, Extent and Strategic Importance, Structure and Relief, Climatic Characteristics, Drainage system, Natural Vegetation, Mining and Quarrying, Soils, etc, Agriculture and irrigation, Horticulture, Animal Husbandry, Storage and Marketing of Farm Products, Tourism – Problems and Prospects, Population, Distribution, Density, Sex Ratio, Migration, Health, Urbanization and Urban Centres, Scheduled Castes and Scheduled tribes (Bhotia, Tharu, Jaunsari, Buksa and Van-Raji etc), Transport Network, Industrial development and Major Hydel Projects.

Environment and Forests movement - Wild Life, National Parks and Sanctuaries, Natural Hazards and Disaster Management, Chipko Movement and Maiti Movement, etc.

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम
पंचम प्रश्न-पत्र

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

समय : 03 घण्टे

पूर्णांक : 200

मुख्य परीक्षा

आर्थिक एवं सामाजिक विकास :

आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अर्थ, मानव विकास सूचकांक (HDI) तथा मानव गरीबी सूचकांक।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ – स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात्।

भारत की जनगणना : सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताएँ, जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास।

भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महिलाओं की भूमिका, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव—गरीबी एवं विकास।

गरीबी रेखा तथा भारत में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम।

ग्रामीण एवं सामाजिक विकास योजनाएँ – कल्याण एवं विकासात्मक कार्यक्रम : स्वयं सहायता समूह, मनरेगा तथा समुदाय शक्ति संरचना, धारणीय विकास एवं समावेशी वृद्धि।

राष्ट्रीय आय – मापन एवं संरचना।

भारत में क्षेत्रीय एवं आय विषमताएँ : इन्हें दूर करने के सरकारी प्रयास।

भारतीय कृषि एवं उद्योग

भारतीय आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका – कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में अन्तर्संबंध।

कृषि की समस्याएँ : भूमि सुधार, मृदा उर्वरता, साखपूर्ति, नाबार्ड, कृषि आर्थिक सहायताएँ एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली : उद्देश्य, कार्य एवं खाद्यान्न सुरक्षा।

औद्योगिक विकास एवं संरचना – सार्वजनिक, निजी एवं संयुक्त क्षेत्र, औद्योगिक रूग्णता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्व, आर्थिक विकास का सार्वजनिक—निजी साझेदारी प्रारूप।

औद्योगिक विकास में विदेशी पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, नई आर्थिक नीति का कृषि, उद्योग एवं विदेशी व्यापार पर प्रभाव।

नियोजन एवं विदेशी व्यापार

1951 के पश्चात भारत में नियोजन : उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, बाजार आधारित एवं नियोजित अर्थव्यवस्थाएँ : एक तुलनात्मक दृष्टिकोण, भारत का विदेशी व्यापार – मात्रा, संरचना एवं दिशा।

निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन

भुगतान संतुलन एवं अवमूल्यन।

विश्वव्यापार संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार (ट्रिप्स), व्यापार से संबंधित निवेश के उपाय (ट्रिम्स), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आई०एम०एफ०) एवं एशियन विकास बैंक (ए०डी०बी०)।

सार्वजनिक वित्त एवं मौद्रिक प्रणाली

राज्य एवं केन्द्र सरकारों की आय के स्रोत।

कराधान, सार्वजनिक, व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों के प्रभाव, आंतरिक एवं वाह्य ऋण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर।

बजटीय घाटा – राजस्व, प्राथमिक एवं राजकोषीय, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, राजकोषीय नीति, केन्द्र राज्य वित्तीय संबंध एवं अद्यतन वित्त आयोग।

मौद्रिक प्रबंधन – मौद्रिक नीति, साख निर्माण एवं साख नियंत्रण।

भारतीय मौद्रिक प्रणाली – भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) एवं व्यापारिक बैंकों की भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था

राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषतायें।

प्राकृतिक संसाधन : जल, वन, खनिज आदि।

आधार संरचना : भौतिक – सड़क, रेल, एवं वायु यातायात

संस्थात्मक – बैंक, स्वयं सहायता समूह (एस०एच०जी०), शिक्षा, ऊर्जा, संचार, स्वास्थ्य आदि।

राज्य की आर्थिक रूपरेखा : राज्य घरेलू उत्पाद और इसके अवयव, प्रति व्यक्ति आय, आय के प्रमुख स्रोत, कृषि, वन उत्पाद, जल विद्युत परियोजनायें, पर्यटन आदि।

औद्योगिक विकास – समस्यायें एवं सम्भावनायें – वृहत, मध्यम, लघु एवं कुटीर उद्योग।

आर्थिक नियोजन : राज्य में नियोजन संबंधित चुनौतियां राज्य योजना आयोग।

राज्य की प्रमुख आर्थिक समस्यायें : प्राकृतिक आपदायें, प्रवासन, पर्यावरणीय ह्रास, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विकास आदि।

कल्याणकारी कार्यक्रम : महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास आदि।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES MAIN EXAMINATION SYLLABUS

Fifth Questions Paper

Economic and Social Development

Time Allowed : 03 Hours

MM: 200

Main Examination

Economic and social Development

Meaning of Economic and Social Development. Human Development Index (HDI) and Human Poverty Index (HPI).

Characteristics of Indian Economy : Before and After Independence.

Census of India : Economic and Social features.

Population growth and economic development. Issues related to Role of women in Economic and Social Development in India.

Impact of globalization on Indian society : Poverty and Development.

Poverty-line and Programmes for eradication of Poverty in India.

Schemes for Rural and Social Development - Welfare and Developmental Programmes including Self Help Groups (SHGs), MNREGA and community power structure.

Sustainable development and Inclusive growth.

National Income - Measurement and composition.

Regional imbalances and income inequalities in India : Steps taken by the Government to reduce it.

Indian Agriculture and Industry

Role of agriculture in Indian economic development-interrelationship between agriculture, industry and service sectors.

Problems of Agriculture : Land Reform, Soil fertility, Credit Supply- National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD), Farm Subsidies and Minimum Support prices etc.

Public distribution system : Objectives, functioning and Issue of Food Security.

Industrial Growth and Structure –Public, Private and Joint Sectors, Industrial sickness. Importance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), PPP Model of Economic Development.

Role of foreign capital and Multi National Corporations (MNCs) in industrial development.

New Economic Policy (NEP) – Its Impact on Agriculture, Industry and Foreign Trade.

Planning and Foreign Trade

Indian planning since 1951 : Objective and Achievements.

Market driven and planned economy : A Comparative view.

India's Foreign Trade – Volume, Composition and Direction.

Exports Promotion and Imports Substitution.

Balance of payments and Devaluation.

World Trade Organization (WTO), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), and Trade Related Investment Measures (TRIMs),

World Bank, International Monetary Fund (IMF) and Asian Development Bank (ADB).

Public Finance and Monetary System

Sources of Income of State and Central Government.

Effects of Taxation, Public Expenditure and Public Debt. Internal and External Debt. Direct and Indirect Taxes.

Budgetary deficit – Revenue, Primary and Fiscal. Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Fiscal Policy.

Center State Financial Relations and latest Finance Commission.

Monetary Management – Monetary Policy, Credit creation and Credit Control.

Indian Monetary System – Role of Reserve Bank of India (RBI) and Commercial Banks in Indian Economy.

Economy of Uttarakhand

Main Features of Economy of the State.

Natural Resources – Water, Forests, Minerals etc.

Infrastructure - Physical : Transport, Roads, Railways, Airports.

Infrastructure-Institutional : Banks, Self Help Groups (SHGs), Education, Energy, Communication, Health etc.

Economic Profile of the State: State Domestic Products and their components, Per Capita income. Main sources of Income – Agriculture, Forest Products, Hydel Projects, Tourism etc.

Industrial Development : Problems and Prospects, Large, Medium, Small and Cottage Industries.

Economic Planning – Challenges of Planning in the State, State Planning Commission.

Major Economic Problems of the State : Natural Disasters, Migration, Environmental Degradation, Development of Transport and Communication Facilities etc .

Welfare Programmes : Women's Empowerment, MNREGA, Sainik Kalyan & Punarvas etc.

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम

षष्ठम प्रश्न-पत्र

सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मुख्य परीक्षा

फिजिकल एंड केमिकल साइंस

गति : भौतिक राशियों का मापन एवं मात्रक पद्धतिया; सरलरेखीय गति, वृत्तीय गति एवं कम्पन्निय गति; बल एवं गति के नियम; सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेवटी, ग्रेवटी की त्वरणता, कृत्रिम उपग्रह, भारत के उपग्रह और उनकी हिस्टरी; कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा; दाब की व्याख्या, वायु-मण्डलीय दाब एवं हाईड्रोस्टेटिक दाब और उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी में उपयोग; सतह पर खिंचाव; यांत्रिक तरंगे; श्रव्य, इन्फ्रासोनिक एवं पराश्रव्य तरंगे, और उनकी मुख्य विशेषताएं; भूकम्प और उसके कारण, एपिसेन्टर, सिस्मिक तरंगे और उनका प्रसारण; इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे, उनके प्रकार और विशेषताएं, एक्सरे, उनके प्रकार और मानवीय जीवन में उपयोगिताएं।

लेजर का प्रारम्भिक ज्ञान, होलोग्राफी, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय विखण्डन और नाभिकीय संलयन, विद्युतीय धारा, उसके रसायनिक, उष्मीय और मेगनेटिक प्रभाव; विद्युतीय मोटर; विद्युतीय जनरेटर और विद्युतीय ट्रांसफॉर्मर; विद्युतीय पावर प्लांट, घरों में पावर सप्लाई और इससे सम्बन्धित सावधानियां; मानवीय आंख, इसमें त्रुटियां, इनके कारण और रोकथाम; माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप; कन्डक्टर्स, सेमिकन्डक्टर्स और इन्श्यूलेटरस।

ऊर्जा : नॉन-रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जाएं जैसे सोलर, हवा, बायोगैस, बायोमास, भूमीय ऊर्जा, टाईडल और दूसरी रिन्यूएबल स्रोत; सोलर एप्लायंसिस जैसे सोलर सैल, सोलर कूकर, पानी हिटर इत्यादि; बायोगैस – सिद्धांत और प्रक्रिया।

भारत में ऊर्जा का प्रारूप : ऊर्जा की कमी में कठिनाईयां, सरकारी पौलिसी और प्रोग्राम्स पावर पैदा करने हेतु, नाभिकीय पावर प्रोग्राम, भारत की नाभिकीय पौलिसी-खास बातें, नाभिकीय पौलिसी के नये ट्रेण्डस-एनपीटीओ और सीटीबीटीओ, उष्मीय पावर प्रोग्राम, जलीय-विद्युतीय, पावर प्रोग्राम, पावर प्रसारण और राष्ट्रीय ग्रिड, ऐजेन्सीज और संस्थाएं जो ऊर्जा सुरक्षा में सम्मिलित हों, अनुसन्धान और डवलेप्मेंट।

पमाणु संरचना का प्रारम्भिक ज्ञान; तत्वों और यौगिकों के प्रकार; भौतिक और रसायनिक बदलाव; अम्ल, क्षार, बफ़रज और साल्ट्स; pH स्केल; पीने के पानी के गुण और शुद्धिकरण के आधुनिक तरीकें; वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एवं प्लास्टर ऑफ़ पेरिस के बनाने की विधि के तरीके; इमारत के सामानों का तैयार करना-लाईम, सिमेंट, ग्लास, एलूमिनियम और स्टील; साधारणतय प्रयोग में आने वाले डाइज, डिटरजेन्ट्स, एक्सप्लोसिवेज, पेन्ट्स और वार्निशीज के बनाने के तरीके व गुण; पेट्रोलियम पदार्थों के गुण और उपयोग; एल्कोहलज् (मीथेनॉल और इथेनॉल) बनाने की तरीके; पॉलीमरज्-कृत्रिम फाइबर्स (नायलॉन और रेयॉन), कोमोडीटी प्लास्टिक्स (पॉलीइथीलीन, पॉलीस्टाईरीन और पॉली विनाइल क्लोराइड), इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स (एबीएस और पॉली कार्बोनेट) तथा रबड़ (पॉली आइसोपरीन और पॉलीबुटाडाइन) के उपयोग; मेडीसन और उनके वर्गीकरण के बारे में मूलभूत विचार; फूड प्रिजर्वेटिवसज्, एल्केलायड् (निकोटीन और कोकेन), कार्बोहाइड्रेट्स (ग्लूकोज, सुक्रोज और सैल्यूलोज) तथा स्टीरायड्ज (कोलेस्ट्रॉल) का प्रारम्भिक अध्ययन।

स्पेस टेक्नोलॉजी : भारतीय स्पेस प्रोग्राम और इसके औद्योगिकी, एग्रीकल्चर, टेलीकम्यूनिकेशन, दूरदर्शन, शिक्षा और भारतीय मिज़ाइल प्रोग्राम के संदर्भ में उपयोग, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल सूचना सिस्टम (जीआईएस) और मौसम की भविष्यवाणी में इसकी उपयोगिता, आपदा चेतावनी,

पानी, तेल और मिनरल डवलेप्मेंट, शहरी प्लानिंग और ग्रामीण डवलेप्मेंट क्रियाएँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में और भारतीय रिमोट सेंसिंग (आई0आर0एस0) उपग्रह सिस्टम।

जीवन विज्ञान

जन्तु कोशिका की रचना एवं कार्य एवं कोशिकीय अवयव, जैविक अणु; स्तनधारियों के विभिन्न तंत्रों की मूल कार्यविधि जैसे— पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन, एन्डोक्राइन, प्रजनन तंत्र, रक्त समूह, गुणसूत्र, सम्बद्धता, लिंग संबद्ध वंशानुगतता और लिंग निर्धारण, डी0एन0ए0 एवं आर0एन0ए0; आर्थिक जंतु विज्ञान (मछली एवं मत्स्योत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, वर्मी कल्चर, सुअर पालन, कुक्कूट पालन, दुग्ध उत्पादन इत्यादि); घरेलू एवं जंगली जानवर, जन्तुओं की मानव को उपयोगिता, जन्तुओं का मनुष्य द्वारा भोजन एवं दवा में प्रयोग।

पादप एवं मानव, पौधों के विशिष्ट लक्षण, पादक कोशिका के लक्षण एवं कार्य तथा कोशिकीय अवयव, कवक, जीवाणु, विषाणु इत्यादि द्वारा पादप रोग एवं उसका निवारण, परिस्थितिकी तंत्र की रूपरेखा, खाद्यजाल एवं खाद्यचक्र, आर्थिक वनस्पति।

जैव प्रौद्योगिकी:— जैव प्रौद्योगिकी का परिचय, इसकी मनुष्य जीवन को विकसित करने में विभिन्न पक्षों की उपयोगिता, एवं आर्थिक तंत्र, जैसे कृषि (जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक ईंधन, अनुवांशिक परिष्कृत फसलें), औद्योगिक विकास एवं रोजगार पैदा करना, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र जैसे औषधियां, मानव स्वास्थ्य लाभ, खाद्य प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि, सरकार के जैव प्रौद्योगिकी को देश में बढ़ावा देने के प्रयास। नैतिक, सामाजिक, विधिक एवं बौद्धिक संपदा अधिकार जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास में।

आनुवंशिक अभियंत्रण का प्रस्तावना एवं प्रयोग तथा तना कोशिका शोध, नैनो तकनीक का कृषि, पशुपालन (क्लोनिंग एवं ट्रांसजेनिक जन्तुओं में प्रयोग, इनविट्रो जनन एवं आनुवंशिक परिवर्तित जीव इत्यादि)

पर्यावरण को साफ करने में जैव प्रौद्योगिकी, हाईब्रिड बीजों का उत्पादन तथा इसके बनाने की विधि, बी.टी. कपास तथा बी.टी. बैंगन आदि, ऊतकीय संवर्धन एवं आणविक मारकर।

सूक्ष्म जीव संक्रमण: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ तथा कवक के मानव संक्रमण की प्रस्तावना। सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण की मूलभूत जानकारी जैसे— डायरिया, दस्त, कॉलेरा, टीबी, डेंगू, मलेरिया, इस्क़रब टाइफ़स, विषाणु संक्रमण जैसे— एड्स, एनसिफेलाइट्स, चिकनगुनिया, वर्ड फ्लू एवं फैलने के दौरान निवारक/रोकथाम के उपाय।

जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां, वैक्सीन की प्रारम्भिक जानकारी।

प्रतिरक्षा के मौलिक सिद्धान्त।

कम्प्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा :

इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कम्प्यूटर की परिभाषा, कम्प्यूटर के तत्व एवं उसकी इकाईयां : इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राथमिक भंडारण, द्वितीयक भंडारण एवं प्रोसेसिंग यूनिट। कम्प्यूटरों का वर्गीकरण, अनुप्रयोग, इतिहास एवं सीमा बंधन।

आँकड़ा, आँकड़ा प्रोसेसिंग, व्यापारिक आँकड़ा प्रोसेसिंग, आँकड़ा भण्डारण, फाईल प्रबंधन प्रणाली एवं डेटाबेस प्रबंधन।

सॉफ्टवेयर एवं पी0सी0 सॉफ्टवेयर पैकेजों का अनुप्रयोग : सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सॉफ्टवेयरों का वर्गीकरण एवं इनका महत्व, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एवं पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण सॉफ्टवेयर पैकेजों का ज्ञान।

सम्प्रेषण प्रणाली के मूलभूत तत्व, आँकड़ा पारेषण के तरीके, पारेषण मीडिया, नेटवर्क संस्थिति, नेटवर्क के प्रकार, सम्प्रेषण प्रोटोकाल एवं नेटवर्क सुरक्षा पद्धति। इंटरनेट की परिभाषा, खोज उपकरण, वेब ब्राउजर, ई-मेल एवं सर्च इंजन, आई टी अनुप्रयोग : इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यापार।

आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, सुरक्षा में बायोमैट्रिक उपकरणों की भूमिका, आई टी एक्ट (2000)। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बलों / संस्थाओं द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन।

पर्यावरणीय समस्या एवं आपदा प्रबंधन

प्रदूषण के प्रकार एवं प्रबंधन—वायु, जल, भू, ध्वनि/शोरगुल, रेडियोधर्मिता एवं ई— (ईलेक्ट्रॉनिक) कचरा, औद्योगिक कचरा एवं प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव, पुर्नचक्रण एवं पुर्नउपयोग। जलसंभर प्रबंधन, जलसंभर से सतत विकास। प्रदूषण नियंत्रण में मानव सहभागिता, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य, प्रदूषण का मानव और पौधों पर प्रभाव, शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास।

वैश्विक पर्यावरण विषय

जैसे— ग्रीन हाऊस प्रभाव, ग्रीन हाऊस गैसों एवं उनका निस्तारण। जलवायु परिवर्तन, अम्लवर्षा, वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन क्षरण, जैव विविधता एवं संरक्षण। हॉट स्पॉट जैव विविधता को खतरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (1986) एवं वन संरक्षण एक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट और कार्बन पद्धचिन्ह। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम (यू0एन0ई0पी0), राष्ट्रीय उद्यान, सेन्चूरी, बायोस्फेयर रिजर्व एवं वानस्पतिक उद्यान, वाईल्ड लाइफ एवं प्रबंधन। मानव एवं जंगली जीव संघर्ष, भूकम्पीय संवेदनशील क्षेत्र, विकास एवं पर्यावरण।

आपदा प्रबंधन

आपदा की परिभाषा, प्रकृति, प्रकार एवं वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदा के कारक तथा कम करने के प्रयास, आपदा प्रबंधन एक्ट (2005), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकार (एन0डी0एम0ए0), **उत्तराखण्ड पुर्नवास एवं नवनिर्माण प्राधिकरण**; भूकम्प, बाढ़, बादल फटना, साइक्लोन सूनामी, भूमीय अपरदन, सूखा इत्यादि, आपदा को कम करने के प्रयासों को प्रभावित करने वाले कारक, उत्तराखण्ड हिमालय एवं अन्य हिमालय क्षेत्रों में आपदा, उत्तराखण्ड पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की जरूरतें। मानव निर्मित आपदायें ; रासायनिक एवं नाभिकीय जोखिम/संकट (हैजार्ड) इत्यादि। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं उनका प्रभाव। एन0डी0आर0एफ0 (राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स (अनुक्रिया) फोर्स) एवं एस0डी0आर0एफ0 (राज्य आपदा रिस्पॉन्स (अनुक्रिया) फोर्स)।

राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समसमायिक घटनाओं का अध्ययन।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES MAIN EXAMINATION SYLLABUS Sixth Questions Paper

General Science and Technology

Time Allowed: 03 Hours

Total marks-200

Main Examination

Physical & Chemical Science

Motion: Measurement of physical quantities and system of Units Linear motion, circular motion and vibrational motion; force and laws of motion; Universal law of gravitation, gravity, acceleration due to gravity, artificial satellites and their launching, Indian satellites and their history. work power and energy; Concept of pressure, atmospheric and hydrostatic pressure and their utility in daily life; surface tension; Mechanical waves- audible, infrasonic, and ultrasonic, their main characteristics; Earth quake and its causes, epicenter, seismic waves and their transmission. Electromagnetic waves, their types and characteristics, X-rays, their type and utility in human life.

Elementary idea of LASER, Holography, Radio activity, Nuclear Fission & Fusion, Electric current, its chemical, thermal and magnetic effects; electric motor; electric generator and electric transformer; electric power plant, Domestic power supply and safety for handling electricity; Human eye, its defects, their causes and remedies; Microscope and telescope; Conductors, semiconductors and insulators.

Energy: Non-renewable and renewable energy sources. Energies like solar, wind, biogas, biomass, geothermal, tidal and other renewable energy; Introduction to solar appliances viz Solar cell, solar cooker, water heater etc. Biogas- principle and process. Energy Scenario in India: Problems of Energy Crises, Govt. Policies and programs for power generation. Nuclear Power Program, Nuclear policy of India- salient features, Recent trends in nuclear policy such as NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) and CTBT (comprehensive Test Ban Treaty). Thermal Power Program, Hydroelectric Power program, Power distribution and National Grid. Agencies and Institutions engaged in Energy security, Research and development.

Elementary idea of atomic structure; Types of elements and compounds; Physical and chemical changes; Acids, bases, buffers and salts; pH scale; Properties and modern methods of purification of drinking water; methods of production of washing soda; baking soda, bleaching powder and plaster of paris; preparation of building materials – lime, cement, glass, aluminum and steel; Preparation and properties of commonly used dyes, detergents, explosives, paints and varnishes; Properties and applications of petroleum products; Methods of preparing alcohols (Methanol and Ethanol); Polymers : Synthetic fibers (nylon and rayon), commodity plastics (polyethylene, polystyrene and poly vinyl chloride), engineering plastics (ABS and poly carbonates) and rubbers (polyisoprene and polybutadiene); Preliminary idea of medicine and its classification; Food preservatives; Introduction to alkaloids (nicotine and cocaine), carbohydrates (glucose, sucrose and cellulose) and steroids (cholesterol).

Space Technology: Space programme in India and its applications with special reference to industrial, agriculture, telecommunication, television, education and Indian missile programme, Remote Sensing, Geographical Information System (GIS) and its application in weather forecasting, Disaster warning, water, oil and mineral development, urban planning and rural development activities; Introduction to Global Positioning System (GPS), and Indian Remote Sensing (IRS) satellites system.

Life Science

Structure and function of animal cell and cell organelles; Bio-Molecules; Introduction to basic functional aspects of mammalian systems- digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, endocrine and reproductive. Blood groups. Chromosomes, linkage, sex-linked inheritance and sex determination, DNA and RNA; Economic zoology (Fish and fisheries,

Apiculture, Sericulture, Vermiculture, Piggery, Poultry, Dairy etc.). Domestic and wild animals, usefulness of animals for mankind; exploitation of animals by man as food and medicine.

Plants and mankind, characteristics of plants, structure and function of plant cells and organelles; Diseases of plants caused by fungi, bacteria and viruses, etc. and their prevention; Basic concepts of ecosystem, food web and food chain; Economic Botany.

Biotechnology: Introduction of Biotechnology, its potential to improve human life and national economy through agriculture (biofertilizers, biopesticides, biofuels, genetically modified crops), industrial development and employment generation. Areas of application -pharmaceuticals, human healthcare, food technology, energy generation etc., Efforts of government in promoting biotechnology in the country. Ethical, social, legal and IPR (intellectual property rights) issues related to biotechnological development.

Introduction and applications of genetic engineering and stem cell research. Use of nano technology in the field of agriculture, animal husbandary (cloning and transgenic animals applications In Vitro Fertilisation (IVF) and genetically modified organism etc.). Biotechnology in environmental clean up process. Production of Hybrid seeds and their processing techniques, Bt cotton and Bt brinjal etc. Tissue culture and molecular markers.

Microbial infections; Introduction to bacterial, viral, protozoan and fungal infections in human beings. Basic knowledge of infections caused by different groups of micro organisms- diarrhoea, dysentery, cholera, tuberculosis, dengue, malaria, scrub typhus, viral infections like HIV, encephalitis, chikungunya, bird flu- preventive measure during outbreaks. Zoonotic diseases; elementary knowledge of vaccines, Immunology basic concepts.

Computer, Information & Communication Technology and Cyber Security

Definition of digital computer, Elements of computer: Input unit, Output unit, Primary memory, Secondary memory and Processing unit. Classifications, generations, applications and limitations of digital computers.

Data, Data processing, business data processing, data storage, file management system and data base management systems.

Software and application of PC software packages: Software definition, Type of software and its value. Knowledge of Word processing, Spreadsheets and Power point presentation software packages.

Basic element of Communication systems, data transmission mode, transmission media, network topologies, network types, communication protocols, network security mechanism. Definition of Internet, search tools, web browsers, e-mail and search engines. IT applications: E-cards, E- shopping, E-commerce.

Role of external state and Non-state actor's in creating challenges to internal security, challenges to Internal security through communication networks, Role of media and Social networking sites in internal security challenges, Basics of cyber security, Role of biometric devices in security, IT Act (2000), Security challenges in border areas linkages of organized crime with terrorism, Management in border areas by various security forces/agencies.

Environmental Problems and Disaster Management

Types of pollution and their management; air, water, soil, sound/noise, radioactive and e-waste. Industrial waste and its management. Impact of Solid Waste Management, recycling and reuse, Watershed Management, Watershed approach for sustainable development, Human role in pollution control, Environment and human health; Effects of pollutants on animals and plants; urbanisation and industrial development.

Global Environmental Issues like Green House Effect, Green House Gases and their mitigation. Climate Change, Acid Rain, Global Warming, Ozone depletion, Biodiversity and its conservation, Hotspots and threats to Biodiversity. The Environment (Protection) Act(1986) and Forest Conservation Act; Kyoto

Protocol, Carbon Credits and Carbon Footprint; United Nations Environmental Conservation Programme (UNEP), National parks, Sanctuaries, Biosphere reserves and Botanical gardens; Wildlife and its management, human and wild animal struggle; Seismic activity zones; Development and environment;

Disaster Management: Definition, nature, types and classification of disasters, Natural Hazards; Causative factors and mitigation measures; Disaster Management Act(2005), National Disaster Management Authorities(NDMA); **Uttarakhand Rehabilitation and Reconstruction Authority**; earthquake, flood, cloudburst, cyclone, tsunami, landslides, drought, etc; Factors affecting mitigation measures; Disasters in the Uttarakhand Himalayan region and other Himalayan States. Need of Eco-Sensitive Zones (ESZ's) in Uttarakhand. Man made calamities- chemical and nuclear hazards etc. Case studies of various natural and man made hazards at international, national and uttarakhand state level and their impact. NDRF (National Disaster Response Force) and SDRF (State Disaster Response Force). General awareness on current events of State, National and International level.

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम

सप्तम प्रश्न-पत्र

सामान्य अभिरूचि एवं आचार शास्त्र

समय : 03 घण्टे

पूर्णांक : 200

मुख्य परीक्षा

सामान्य अभिरूचि

पूर्णांक : 120

संख्यायें एवं उनका वर्गीकरण : प्राकृतिक, वास्तविक (परिमेय, अपरिमेय), पूर्णांक, संख्याओं का विभाजन एवं अभाज्य संख्यायें, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियायें, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) एवं महत्तम समापवर्त्य (HCF) तथा उनमें सम्बन्ध एवं अन्तर।

अनुपात एवं उसके गुण, एक दी गई संख्या को एक दिए हुए अनुपात में व्यक्त करना, अनुपातों की तुलना, उनसे संबंधित समानुपात, दो या दो से अधिक संख्याओं का समानुपातिक सम्बन्ध।

संख्या को दर प्रतिशत में और दर प्रतिशत को संख्या में बदलना, दी गई संख्या को अन्य संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना, प्रतिशत का दशमलव में परिवर्तन तथा दशमलव का प्रतिशत में परिवर्तन, किसी संख्या पर प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव, किसी संख्या के प्रतिशत का द्विस्तरीय परिवर्तन, प्रतिशत अधिकता एवं प्रतिशत न्यूनता, वृद्धि प्रतिशत, लाभ/हानि प्रतिशत, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य में संबंध।

साधारण ब्याज पर मूलधन (पी), दर (आर) तथा अवधि (टी) में परिवर्तन का प्रभाव, समान किस्तों में अदायगी, चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज को वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक, रूप से सम्मिलित किया जाता है, वृद्धि एवं ह्रास की दर, मूलधन, समय, ब्याज की दर ज्ञात करना, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर।

कार्य एवं समय की आधारभूत अवधारणाओं पर प्रश्न।

सरल रेखीय युगपत् समीकरण।

समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं (संघ, प्रतिच्छेद, अन्तर), वेन आरेख।

त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त, उनकी रचना एवं गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाण और क्षेत्रफल, गोला, आयतकार एवं वृत्ताकार बेलन तथा शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल।

कार्तीय पद्धति, बिन्दु का आलेखन एवं दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
 समरूपता, व्यवस्थिकरण, कारण और प्रभाव, वंश वृक्ष, पहेलियों पर आधारित प्रश्न, अनुक्रम एवं श्रेणी,
 वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित प्रश्न, न्यायबद्ध, वक्तव्य और निर्णय, घड़ी पर आधारित प्रश्न।
 आंकड़ों की सार्थकता, पर्याप्तता, संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, संचयी बारम्बारता, सारणीयन
 एवं आंकड़ों का निरूपण : सरल, बहुदण्ड तथा उपविभाजित दण्ड आरेख, पाई आरेख, आयत चित्र,
 बारम्बारता वक्र, बारम्बारता बहुभुज, तोरण, आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या।
 समान्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका, बहुलक, विभिन्न प्रेक्षणों का सामूहिक माध्य,
 किसी समूह के अवयवों को बढ़ाकर अथवा कम करके माध्य निकालना, चतुर्थक, दशमक और
 शतमक।

प्रायिकता की शास्त्रीय एवं सांख्यिकीय परिभाषा, प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय, सरल उदाहरणों
 सहित, घटनाएँ, समष्टि क्षेत्र।

आचार शास्त्र पूर्णांक : 80

इस खण्ड में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी,
 दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, नैतिक आचरण एवं इससे संबंधित केस स्टडी जैसे विषयों को शामिल किया
 जाएगा।

भावनात्मक/मनोवैज्ञानिक/मानववादी समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके
 उपयोग और प्रयोग।

नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके
 निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक सम्बन्धों में नीतिशास्त्र, मानवीय
 मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित
 करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।

अभिवृत्ति, सारांश (कन्टेन्ट), संरचना, वृत्तिय विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं
 संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा।

सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर-तरफदारी,
 निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा
 संवेदना।

राज्य, भारत तथा विश्व के नैतिक विचार को तथा दार्शनिकों के योगदान।

लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा
 निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम,
 विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्थाओं में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रीय
 संबंधों तथा विविध व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दें, कारपोरेट शासन व्यवस्था।

शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा व शासन व्यवस्था और ईमानदारी का
 दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता।

सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति
 सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, बदलते परिवेश में
 लोक सेवकों की चुनौतियां।

आपदा एवं आपदा प्रबंधन, प्रचलित/सहायक विधि के अन्तर्गत तकनीकी का विकास, आपदा एवं
 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लोक सेवकों की भूमिका।

उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

COMBINED STATE CIVIL/UPPER SUB-ORDINATE SERVICES MAIN EXAMINATION SYLLABUS

Seventh Question Paper General Aptitude and Ethics

Time Allowed : 03 Hours

MM: 200

Main Examination

General Aptitude

MM: 120

Numbers and their classification: Natural, Real (Rational and Irrational), Integers, Division of numbers and Prime Numbers, Operations on Real numbers, Power root method for real numbers, Least Common Multiple (LCM) and Highest Common Factor (HCF) of Integers and their relation & difference.

Ratio and its Properties, Expressing a given number into a given ratio, Comparison of ratios, Respective proportion, Proportional relation between two or more numbers.

Exchange of a number into rate of interest and rate of interest into number, Expressing a given quantity as a percentage of another quantity, conversion of a percentage into decimals and decimals into percentage, effect of percentage change on any number, two step change of percentage for a number, percentage excess and percentage shortness, gain percentage, profit and loss percentage, relation between cost price and selling price.

Effect of change of principal (P), rate (R) and time (T) on simple interest, repayment of debt in equal installments, compound interest when the interest is compounded yearly, half-yearly and quarterly, rate of growth and depreciation, principal amount, time, rate of interest, difference between compound and simple interest.

Problems on basic concepts of work and time.

Simple linear simultaneous equations.

Sets, subsets, proper subsets, null set, operations on sets (Union, Intersection, Difference), Venn diagram.

Elementary knowledge of triangle, rectangle, square, rhombus and circle, theorems related to their properties and their parameter & area, volume and surface area of sphere, rectangular and circular cylinder and cone, cube.

Cartesian system, plotting of a point and distance formula, section formula, area of a triangle.

Analogies, arrangement, causes and effects, family tree, puzzles based questions, sequences and series, code based questions on letters of alphabet, syllogism, statement and conclusion, problems based on clocks.

Significance, sufficiency, collection, classification of data, frequency, cumulative frequency, tabulation and presentation of data: simple, multiple, subdivided bar diagram, pie chart, histogram, frequency curve, frequency polygon, ogives, analysis and interpretation of data.

Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, mode, combined mean of several sets of observations, average by increasing and decreasing of elements of sets, quartiles, deciles and percentiles. Classical and statistical definition of probability, addition and multiplication theorems of probability with simple examples, events, sample space.

Ethics MM: 80

This section will include questions on, candidates in public life, integrity, honesty, attitude, psychology, ethics and related case studies.

Emotional/Psychological /Humanistic intelligence-concepts and their utilities and application in administration and governance.

Ethics and Human Interface: Essence, determinants and consequences of Ethics in human actions; dimensions of ethics; ethics in private and public relationships. Human Values- lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators; role of family, society and educational institutions in inculcating values.

Attitude: Content, structure, function; its influence and relation with thought and behavior; moral and political attitudes; social influence and persuasion.

Attitude and foundational values for Civil Service. Integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-sections of society.

Contributions of moral thinkers and philosophers from Uttarakhand State, India and World.

Need of Public service, Public/Civil service values and Ethics in Public administration : Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in International relations and funding; corporate governance.

Probity in Governance: Concept of public service; Philosophical basis of governance and probity; Information sharing and transparency in government.

Right to information, Codes of Ethics, Codes of Conduct, Citizen's Charters, Work culture, Quality of service delivery, Utilization of public funds, challenges of corruption, challenges for public servants in view of changed environment.

Disaster and disaster management, Development of technique, Assistant /Prevailing in law.The role of public servants in disaster management.

Case Studies on above issues.

परिशिष्ट-3

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील

.... नगर जिला उत्तराखण्ड कीजाति के व्यक्ति हैं, जिसे

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0)

आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता

दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्रामतहसीलनगरजिला

में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

मुहर :

पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील
.....नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
..... तहसील नगर जिलामें सामान्यतया रहता
है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पदनाम
मुहर
जिलाधिकारी/अपर जिला

मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्रामतहसील

..... नगर जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से

विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड

राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित)/पुत्री के पुत्र/पुत्री

उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – तारीख

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
.....आयु लिंग पहचान चिन्ह

निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी ए) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बाहें (बी एल ए)–दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:—
- | | |
|--|----------|
| (i) एफ—अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी—धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल—उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी—घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी—झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस—बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी—खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू—चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई—देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच—सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू—पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के
मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

' जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....
पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है।
इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका
परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं
और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो
--

Handwritten signature

परिशिष्ट-4

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-1 प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-2 की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-2 की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abacus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ; उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

APPENDIX-4(I)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ----- (name of the candidate with disability), a person with ----- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o -----, a resident of ----- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent
of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

APPENDIX-4(II)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I -----, a candidate with -----(name of the disability) appearing for the -----(name of the examination) bearing Roll No. ----
----- at ----- (name of the centre) in the District -----
(name of the State). My qualification is -----.

I do hereby state that -----(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----- . In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-5

शासनादेश संख्या-256 / 18-प्रा0शि0-2-88-20 / 82, दिनांक 16.07.1982 ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री
श्री / श्रीमती.....ग्राम.....तहसील / तालुका.....
जिला.....राज्य.....के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कीमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

पदनाम की मुहर

नोट: कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

Experience Certificate

Logo of
Officer
(If
available)

Name of

Deptt./Office:

Address of

Deptt./Office:

Date of Reg. of

Company/Firm/Society/Institution/Trust

Telephone No.:.....

Website:.....

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km.
Son /Daughter/Husband of
shri..... is an employee of this Department
/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period
(s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/y	To dd/mm/y	Total Period dd/mm/y	Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch/other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign
(Signature & Name of Authorized
Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

परिशिष्ट-7

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) एवं मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14 मई, 2019 तथा दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	अन्तिम चयन परिणाम (सम्पूर्ण प्रवीणता सूची) तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी	35%	40%
4	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%

- नोट:**
- सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।
 - भाषा के प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्नपत्र (भाषा के प्रश्नपत्र को छोड़कर) में अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी के पदों हेतु 35%, ओ0बी0सी0 एवं संबंधित उपश्रेणी के पदों हेतु 30%, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु आरक्षित पदों हेतु 25%, अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही मुख्य (लिखित) परीक्षा की मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

परिशिष्ट-8

मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोग द्वारा मांगे जाने पर निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है :-

- 1- हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2- इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3- स्नातक उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 4- स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
- 5- अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष) ।
- 6- आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष) ।
- 7- अनुभव प्रमाण पत्र (यदि विज्ञापित पद के सापेक्ष लागू हों तो)
- 8- केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा अनापत्ति प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्यप्रतिलिपि।
- 9- मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन जमा की गयी परीक्षा शुल्क की रसीद
- 10- यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
- 11- पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्यक संलग्न करे, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

